कार्यालय विभागीय जॉच अधिकारी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

आई. ई. सी. ब्यूरो केम्पस , जे.पी.अस्पताल , 2 नं. बस स्टॉप भोपाल

क्रमांक :-21 दिनांक :-14/08/2018

प्रति,

डॉ एस.एस.बघेल

तत्कालीन मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी

जिला बडवानी

विषय :- डॉ. एस.एस.बघेल के विरुध्द म.प्र सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के अतंर्गत विभागीय जॉच ।

स्वास्थ्य आयुक्त भोपाल म.प्र. द्वारा आपके विरूध्द लगाये गये आरोपो की जॉच के लिए कार्यालयीन आदेश क्रमांक डीई-2/2018/1397 दिनांक 30.07.2018 द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रकरण में जॉच अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

प्रकरण में सुनवाई दिनांक 24.08.2018 को कार्यालय मे पूर्वान्ह 12 बजे को की जायेगी । अत: नियत दिनांक व समय पर आप स्वंय तथा अपने बचाव सहायक के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करे । सूचनापरांत आप अनुपस्थित रहेंगी तो नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही कर प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जायेगी ।

यदि बचाव सहायक का विवरण उनकी सहमति और उनके नियंत्रण अधिकारी की जानकारी दिनांक 24.08.2018 तक प्रस्तुत की जायेगी तो उनके लिए आवश्यक अनुदेश जारी किया जायेंगा । कार्यालय अथवा सेवा निवृत्त शासकीय सेवक का बचाव सहायक के रूप में नामांकित करने के लिए कृपया राज्य शासन के निर्देशो का पालन करना सुनिश्चित करें ।

दिनेशचन्द्र सिंघी
विभागीय जॉच अधिकारी
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐ .भोपाल(म.प्र)
मो.न.:-7747005301

भोपाल दिनांक 14.8.18

पृष्ठांकन क्रमांक 22

प्रतिलिपि:-

1:- प्रकरण में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी उपसंचालक स्वास्थ्य सेवाऐ इंदौर संभाग इंदौर / सिविल सर्जन इंदौर उपरोक्त तिथि और समय पर सूचीबद्ध अभिलेखो एवं यदि प्रांरभिक जॉच हुई है तो साक्षियो के लिए गए कथनो की प्रतिलिपि सहित उपस्थित होना सुनिश्चित करे ।

2:- संभागीय संयुक्त संचालक इंदौर की ओर भेजकर लेख है कि कृपया अपचारी सेवक तथा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को निर्धारित तिथि को मेरे समक्ष उपस्थित होने के लिए आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करे तथा आगामी पेशियो को भी कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करे , ताकि विभागीय जॉच की सुनवाई मे विलम्ब ना हो ।

दिनेशचन्द्र सिंघी
विभागीय जॉच अधिकारी

कार्यालय विभागीय जॉच अधिकारी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

आई. ई. सी. ब्यूरो केम्पस , जे.पी.अस्पताल , 2 नं. बस स्टॉप भोपाल

क्रमांक :- 23 दिनांक :-14/08/2018

प्रति,

डॉ जे.एस.गोगिया

तत्कालीन मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी

जिला छतरपुर

विषय :- डॉ. जे.एस.गोगिया के विरूध्द म.प्र सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के अतंर्गत विभागीय जॉच ।

स्वास्थ्य आयुक्त भोपाल म.प्र. द्वारा आपके विरूध्द लगाये गये आरोपो की जॉच के लिए कार्यालयीन आदेश क्रमांक डीई-2/2018/1440 दिनांक 06.08.2018 द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रकरण में जॉच अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

प्रकरण में सुनवाई दिनांक 24.08.2018 को कार्यालय मे पूर्वान्ह 12 बजे को की जायेगी । अत: नियत दिनांक व समय पर आप स्वंय तथा अपने बचाव सहायक के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करे । सूचनापरांत आप अनुपस्थित रहेंगी तो नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही कर प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जायेगी ।

यदि बचाव सहायक का विवरण उनकी सहमति और उनके नियंत्रण अधिकारी की जानकारी दिनांक 24.08.2018 तक प्रस्तुत की जायेगी तो उनके लिए आवश्यक अनुदेश जारी किया जायेगा । कार्यालय अथवा सेवा निवृत्त शासकीय सेवक का बचाव सहायक के रूप में नामांकित करने के लिए कृपया राज्य शासन के निर्देशो का पालन करना सुनिश्चित करें ।

दिनेशचन्द्र सिंघी
विभागीय जॉच अधिकारी
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं .भोपाल(म.प्र)
मो.न.:-7747005301

पृष्ठांकन क्रमांक 24 भोपाल दिनांक 14.8.18

प्रतिलिपि:-

1:- प्रकरण में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी छतरपुर / सिविल सर्जन छतरपुर उपरोक्त तिथि और समय पर सूचीबद्ध अभिलेखो एवं यदि प्रांरभिक जॉच हुई है तो साक्षियो के लिए गए कथनो की प्रतिलिपि सहित उपस्थित होना सुनिश्चित करे ।

2:- संभागीय संयुक्त संचालक सागर की ओर भेजकर लेख है कि कृपया अपचारी सेवक तथा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को निर्धारित तिथि को मेरे समक्ष उपस्थित होने के लिए आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करे तथा आगामी पेशियो को भी कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करे , ताकि विभागीय जॉच की सुनवाई मे विलम्ब ना हो ।

दिनेशचन्द्र सिंघी
विभागीय जॉच अधिकारी

कार्यालय विभागीय जॉच अधिकारी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

आई. ई. सी. ब्यूरो केम्पस , जे.पी.अस्पताल , 2 नं. बस स्टॉप भोपाल

क्रमांक :-31 दिनांक :-14/08/2018

प्रति,

श्री अनिल शर्मा
सह स्टेशनरी क्रय प्रभारी
जिला शाजापुर

विषय :- श्री अनिल शर्मा के विरूध्द म.प्र सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के अतंर्गत विभागीय जॉच ।

स्वास्थ्य आयुक्त भोपाल म.प्र. द्वारा आपके विरूध्द लगाये गये आरोपो की जॉच के लिए कार्यालयीन आदेश क्रमांक डीई-2/2018/1438 दिनांक 04.08.2018 द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रकरण में जॉच अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

प्रकरण में सुनवाई दिनांक 24.08.2018 को कार्यालय मे पूर्वान्ह 12 बजे को की जायेगी । अत: नियत दिनांक व समय पर आप स्वंय तथा अपने बचाव सहायक के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करे । सूचनापरांत आप अनुपस्थित रहेंगे तो नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही कर प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जायेगी ।

यदि बचाव सहायक का विवरण उनकी सहमति और उनके नियंत्रण अधिकारी की जानकारी दिनांक 24.08.2018 तक प्रस्तुत की जायेगी तो उनके लिए आवश्यक अनुदेश जारी किया जायेगा । कार्यालय अथवा सेवा निवृत्त शासकीय सेवक का बचाव सहायक के रूप में नामांकित करने के लिए कृपया राज्य शासन के निर्देशो का पालन करना सुनिश्चित करें ।

दिनेशचन्द्र सिंघी
विभागीय जॉच अधिकारी
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐ .भोपाल(म.प्र)
मो.न.:-7747005301

पृष्ठांकन क्रमांक 32 भोपाल दिनांक 14.8.18

प्रतिलिपि:-

1:- प्रकरण में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शाजापुर / सिविल सर्जन शाजापुर उपरोक्त तिथि और समय पर सूचीबद्ध अभिलेखो एवं यदि प्रांरभिक जॉच हुई है तो साक्षियो के लिए गए कथनो की प्रतिलिपि सहित उपस्थित होना सुनिश्चित करे ।

2:- संभागीय संयुक्त संचालक उज्जैन की ओर भेजकर लेख है कि कृपया अपचारी सेवक तथा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को निर्धारित तिथि को मेरे समक्ष उपस्थित होने के लिए आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करे तथा आंगामी पेशियो को भी कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करे , ताकि विभागीय जॉच की सुनवाई मे विलम्ब ना हो ।

दिनेशचन्द्र सिंघी
विभागीय जॉच अधिकारी

कार्यालय विभागीय जॉच अधिकारी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

आई. ई. सी. ब्यूरो केम्पस , जे.पी.अस्पताल , 2 नं. बस स्टॉप भोपाल

क्रमांक :- 29 दिनांक :-14/08/2018

प्रति,

श्री एस.पी.जोशी

लेखापाल सह लेखा शाखा प्रभारी

जिला शाजापुर

विषय :- श्री एस.पी.जोशी के विरूध्द म.प्र सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के अतंर्गत विभागीय जॉच ।

स्वास्थ्य आयुक्त भोपाल म.प्र. द्वारा आपके विरूध्द लगाये गये आरोपो की जॉच के लिए कार्यालयीन आदेश क्रमांक डीई-2/2018/1438 दिनांक 04.08.2018 द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रकरण में जॉच अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

प्रकरण में सुनवाई दिनांक 24.08.2018 को कार्यालय मे पूर्वान्ह 12 बजे को की जायेगी । अत: नियत दिनांक व समय पर आप स्वंय तथा अपने बचाव सहायक के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करे । सूचनापरांत आप अनुपस्थित रहेंगे तो नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही कर प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जायेगी ।

यदि बचाव सहायक का विवरण उनकी सहमति और उनके नियंत्रण अधिकारी की जानकारी दिनांक 24.08.2018 तक प्रस्तुत की जायेगी तो उनके लिए आवश्यक अनुदेश जारी किया जायेगा । कार्यालय अथवा सेवा निवृत्त शासकीय सेवक का बचाव सहायक के रूप में नामांकित करने के लिए कृपया राज्य शासन के निर्देशो का पालन करना सुनिश्चित करें ।

दिनेशचन्द्र सिंघी

विभागीय जॉच अधिकारी

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐ .भोपाल(म.प्र)

मो.न.:-7747005301

पृष्ठांकन क्रमांक 30 भोपाल दिनांक 14.8.18

प्रतिलिपि:-

1:- प्रकरण में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शाजापुर / सिविल सर्जन शाजापुर उपरोक्त तिथि और समय पर सूचीबद्ध अभिलेखो एवं यदि प्रांरभिक जॉच हुई है तो साक्षियो के लिए गए कथनो की प्रतिलिपि सहित उपस्थित होना सुनिश्चित करे ।

2:- संभागीय संयुक्त संचालक उज्जैन की ओर भेजकर लेख है कि कृपया अपचारी सेवक तथा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को निर्धारित तिथि को मेरे समक्ष उपस्थित होने के लिए आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करे तथा आगामी पेशियो को भी कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करे , ताकि विभागीय जॉच की सुनवाई मे विलम्ब ना हो ।

दिनेशचन्द्र सिंघी

विभागीय जॉच अधिकारी

कार्यालय विभागीय जॉंच अधिकारी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

आई. ई. सी. ब्यूरो केम्पस , जे.पी.अस्पताल , 2 नं. बस स्टॉप भोपाल

क्रमांक :-27 दिनांक :-14/08/2018

प्रति,

श्री कैलाश बाबू वर्मा

ड्रेसर (निलंबित)

जिला शाजापुर

विषय :- श्री कैलाश बाबू वर्मा के विरूध्द म.प्र सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के अतंर्गत विभागीय जॉच ।

स्वास्थ्य आयुक्त भोपाल म.प्र. द्वारा आपके विरूध्द लगाये गये आरोपो की जॉच के लिए कार्यालयील आदेश क्रमांक डीई-2/2018/1438 दिनांक 04.08.2018 द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रकरण में जॉच अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

प्रकरण में सुनवाई दिनांक 24.08.2018 को कार्यालय मे पूर्वान्ह 12 बजे को की जायेगी । अत: नियत दिनांक व समय पर आप स्वंय तथा अपने बचाव सहायक के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करे । सूचनापरांत आप अनुपस्थित रहेंगे तो नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही कर प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जायेगी ।

यदि बचाव सहायक का विवरण उनकी सहमति और उनके नियंत्रण अधिकारी की जानकारी दिनांक 24.08.2018 तक प्रस्तुत की जायेगी तो उनके लिए आवश्यकं अनुदेश जारी किया जायेगा । कार्यालय अथवा सेवा निवृत्त शासकीय सेवक का बचाव सहायक के रूप में नामांकित करने के लिए कृपया राज्य शासन के निर्देशो का पालन करना सुनिश्चित करें ।

दिनेशचन्द्र सिंघी

विभागीय जॉच अधिकारी

संचाललालय स्वास्थ्य सेवाऐ .भोपाल(म.प्र)

मो.न.:-7747005301

पृष्ठांकन क्रमांक 28

भोपाल दिनांक 14.8.18

प्रतिलिपि:-

1:- प्रकरण में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शाजापुर / सिविल सर्जन शाजापुर उपरोक्त तिथि और समय पर सूचीबद्ध अभिलेखो एवं यदि प्रांरभिक जॉच हुई है तो साक्षियो के लिए गए कथनो की प्रतिलिपि सहित उपस्थित होना सुनिश्चित करे ।

2:- संभागीय संयुक्त संचालक उज्जैन की ओर भेजकर लेख है कि कृपया अपचारी सेवक तथा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को निर्धारित तिथि को मेरे समक्ष उपस्थित होने के लिए आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करे तथा आगामी पेशियो को भी कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करे , ताकि विभागीय जॉच की सुनवाई मे विलम्ब ना हो ।

दिनेशचन्द्र सिंघी

विभागीय जॉच अधिकारी

कार्यालय विभागीय जॉच अधिकारी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

आई. ई. सी. ब्यूरो केम्पस , जे.पी.अस्पताल , 2 नं. बस स्टॉप भोपाल

क्रमांक :-25 दिनांक :-14/08/2018

प्रति,

डॉ अनसुईया गवली
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला शाजापुर

विषय :- डॉ. अनसुईया गवली के विरूध्द म.प्र सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के अतंर्गत विभागीय जॉच ।

स्वास्थ्य आयुक्त भोपाल म.प्र. द्वारा आपके विरूध्द लगाये गये आरोपो की जॉच के लिए कार्यालयीन आदेश क्रमांक डीई-2/2018/1438 दिनांक 04.08.2018 द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रकरण में जॉच अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

प्रकरण में सुनवाई दिनांक 24.08.2018 को कार्यालय मे पूर्वान्ह 12 बजे को की जायेगी । अत: नियत दिनांक व समय पर आप स्वंय तथा अपने बचाव सहायक के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करे । सूचनापरांत आप अनुपस्थित रहेंगे तो नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही कर प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जायेगी ।

यदि बचाव सहायक का विवरण उनकी सहमति और उनके नियंत्रण अधिकारी की जानकारी दिनांक 24.08.2018 तक प्रस्तुत की जायेगी तो उनके लिए आवश्यक अनुदेश जारी किया जायेगा । कार्यालय अथवा सेवा निवृत्त शासकीय सेवक का बचाव सहायक के रूप में नामांकित करने के लिए कृपया राज्य शासन के निर्देशो का पालन करना सुनिश्चित करें ।

दिनेशचन्द्र सिंघी
विभागीय जॉच अधिकारी
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐ .भोपाल(म.प्र)
मो.न.:-7747005301

पृष्ठांकन क्रमांक 26 भोपाल दिनांक 14.8.18

प्रतिलिपि:-

1:- प्रकरण में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शाजापुर / सिविल सर्जन शाजापुर उपरोक्त तिथि और समय पर सूचीबद्ध अभिलेखो एवं यदि प्रांरभिक जॉच हुई है तो साक्षियो के लिए गए कथनो की प्रतिलिपि सहित उपस्थित होना सुनिश्चित करे ।

2:- संभागीय संयुक्त संचालक उज्जैन की ओर भेजकर लेख है कि कृपया अपचारी सेवक तथा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को निर्धारित तिथि को मेरे समक्ष उपस्थित होने के लिए आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करे तथा आगामी पेशियो को भी कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करे , ताकि विभागीय जॉच की सुनवाई मे विलम्ब ना हो ।

दिनेशचन्द्र सिंघी
विभागीय जॉच अधिकारी

कार्यालय विभागीय जॉच अधिकारी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

आई. ई. सी. ब्यूरो केम्पस , जे.पी.अस्पताल , 2 नं. बस स्टॉप भोपाल

क्रमांक :- 19 दिनांक :-14/08/2018

प्रति,
डॉ हर्ष गुप्ता
चिकित्सा अधिकारी
जिला चिकित्सालय टीकमगढ

विषय :- डॉ. हर्ष गुप्ता के विरूध्द म.प्र सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के अतंर्गत विभागीय जॉच ।

स्वास्थ्य आयुक्त भोपाल म.प्र. द्वारा आपके विरूध्द लगाये गये आरोपो की जॉच के लिए कार्यालयीन आदेश क्रमांक डीई-2/2018/1399 दिनांक 30.07.2018 द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रकरण में जॉच अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

प्रकरण में सुनवाई दिनांक 24.08.2018 को कार्यालय मे पूर्वान्ह 12 बजे को की जायेगी । अत: नियत दिनांक व समय पर आप स्वंय तथा अपने बचाव सहायक के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करे । सूचनापरांत आप अनुपस्थित रहेंगी तो नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही कर प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जायेगी ।

यदि बचाव सहायक का विवरण उनकी सहमति और उनके नियंत्रण अधिकारी की जानकारी दिनांक 24.08.2018 तक प्रस्तुत की जायेगी तो उनके लिए आवश्यक अनुदेश जारी किया जायेगा । कार्यालय अथवा सेवा निवृत्त शासकीय सेवक का बचाव सहायक के रूप में नामांकित करने के लिए कृपया राज्य शासन के निर्देशो का पालन करना सुनिश्चित करें ।

दिनेशचन्द्र सिंघी
विभागीय जॉच अधिकारी
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं .भोपाल(म.प्र)
मो.न.:-7747005301

पृष्ठांकन क्रमांक 20 भोपाल दिनांक 14.8.18

प्रतिलिपि:-

1:- प्रकरण में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टीकमगढ / सिविल सर्जन टीकमगढ उपरोक्त तिथि और समय पर सूचीबद्ध अभिलेखो एवं यदि प्रांरभिक जॉच हुई है तो साक्षियो के लिए गए कथनो की प्रतिलिपि सहित उपस्थित होना सुनिश्चित करे ।

2:- संभागीय संयुक्त संचालक सागर की ओर भेजकर लेख है कि कृपया अपचारी सेवक तथा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को निर्धारित तिथि को मेरे समक्ष उपस्थित होने के लिए आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करे तथा आगामी पेशियो को भी कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करे , ताकि विभागीय जॉच की सुनवाई मे विलम्ब ना हो

दिनेशचन्द्र सिंघी
विभागीय जॉच अधिकारी

कार्यालय विभागीय जॉच अधिकारी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

आई. ई. सी. ब्यूरो केम्पस , जे.पी.अस्पताल , 2 नं. बस स्टॉप भोपाल

क्रमांक :-017 दिनांक 06.08.2018

प्रति,

डॉ. एस.के.चंदैया
तत्कालीन खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक
स्वास्थ्य केन्द्र बनखेडी , जिला होशंगाबाद

विषय :- डॉ. एस.के.चंदैया के विरूध्द म.प्र सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के अतंर्गत विभागीय जॉच ।

स्वास्थ्य आयुक्त भोपाल म.प्र. द्वारा आपके विरूध्द लगाये गये आरोपो की जॉच के लिए कार्यालयीन आदेश क्रमांक डीई-2/2018/1346 दिनांक 19.07.2018 द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रकरण में जॉच अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

प्रकरण में सुनवाई दिनांक 21.08.2018 को कार्यालय मे पूर्वान्ह 12 बजे को की जायेगी । अतः नियत दिनांक व समय पर आप स्वंय तथा अपने बचाव सहायक के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करे । सूचनापरांत आप अनुपस्थित रहेंगी तो नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही कर प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जायेगी ।

यदि बचाव सहायक का विवरण उनकी सहमति और उनके नियंत्रण अधिकारी की जानकारी दिनांक 21.08.2018 तक प्रस्तुत की जायेगी तो उनके लिए आवश्यक अनुदेश जारी किया जायेगा । कार्यालय अथवा सेवा निवृत्त शासकीय सेवक का बचाव सहायक के रूप में नामांकित करने के लिए कृपया राज्य शासन के निर्देशो का पालन करना सुनिश्चित करें ।

राधावल्लभ शर्मा
विभागीय जॉच अधिकारी
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐ .भोपाल(म.प्र)
MobNO 94253-74401

पृष्ठांकन क्रमांक/18

भोपाल दिनांक 7/8/2018

प्रतिलिपि:-

1:- प्रकरण में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी होशंगाबाद / सिविल सर्जन होशंगाबाद उपरोक्त तिथि और समय पर सूचीबद्ध अभिलेखो एवं यदि प्रांरभिक जॉच हुई है तो साक्षियो के लिए गए कथनो की प्रतिलिपि सहित उपस्थित होना सुनिश्चित करे ।

2:- संभागीय संयुक्त संचालक होशंगाबाद की ओर भेजकर लेख है कि कृपया अपचारी सेवक तथा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को निर्धारित तिथि को मेरे समक्ष उपस्थित होने के लिए आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करे तथा आगामी पेशियो को भी कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करे , ताकि विभागीय जॉच की सुनवाई मे विलम्ब ना हो ।

राधावल्लभ शर्मा
विभागीय जॉच अधिकारी

कार्यालय विभागीय जॉच अधिकारी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

आई. ई. सी. ब्यूरो केम्पस , जे.पी.अस्पताल , 2 नं. बस स्टॉप भोपाल

क्रमांक :-015 दिनांक 06.08.2018

प्रति,

डॉ. नीरज सिंह
मेडिकल आफीसर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
कोलारस , जिला शिवपुरी

विषय :- डॉ. नीरज सिंह के विरूध्द म.प्र सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के अतंर्गत विभागीय जॉच ।

स्वास्थ्य आयुक्त भोपाल म.प्र. द्वारा आपके विरूध्द लगाये गये आरोपो की जॉच के लिए कार्यालयीन आदेश क्रमांक डीई-2/2018/1336 दिनांक 17.07.2018 द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रकरण में जॉच अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

प्रकरण में सुनवाई दिनांक 21.08.2018 को कार्यालय मे पूर्वान्ह 12 बजे को की जायेगी । अत: नियत दिनांक व समय पर आप स्वंय तथा अपने बचाव सहायक के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करे । सूचनापरांत आप अनुपस्थित रहेंगी तो नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही कर प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जायेगी ।

यदि बचाव सहायक का विवरण उनकी सहमति और उनके नियंत्रण अधिकारी की जानकारी दिनांक 21.08.2018 तक प्रस्तुत की जायेगी तो उनके लिए आवश्यक अनुदेश जारी किया जायेगा । कार्यालय अथवा सेवा निवृत्त शासकीय सेवक का बचाव सहायक के रूप में नामांकित करने के लिए कृपया राज्य शासन के निर्देशो का पालन करना सुनिश्चित करें ।

राधावल्लभ शर्मा
विभागीय जॉच अधिकारी
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐ .भोपाल(म.प्र)
94253-74401

पृष्ठांकन क्रमांक /16 भोपाल दिनांक 7/8/2018

प्रतिलिपि:-

1:- प्रकरण में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शिवपुरी / सिविल सर्जन शिवपुरी उपरोक्त तिथि और समय पर सूचीबद्ध अभिलेखो एवं यदि प्रारंभिक जॉच हुई है तो साक्षियो के लिए गए कथनो की प्रतिलिपि सहित उपस्थित होना सुनिश्चित करे ।

2:- संभागीय संयुक्त संचालक शिवपुरी की ओर भेजकर लेख है कि कृपया अपचारी सेवक तथा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को निर्धारित तिथि को मेरे समक्ष उपस्थित होने के लिए आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करे तथा आगामी पेशियो को भी कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करे , ताकि विभागीय जॉच की सुनवाई मे विलम्ब ना हो ।

राधावल्लभ शर्मा
विभागीय जॉच अधिकारी

कार्यालय विभागीय जॉच अधिकारी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

आई. ई. सी. ब्यूरो केम्पस , जे.पी.अस्पताल , 2 नं. बस स्टॉप भोपाल

क्रमांक :-013 दिनांक 06.08.2018

प्रति,

डॉ. डी.पी.सिंह
तत्कालीन सिविल सर्जन , सह मुख्य अस्पताल
होशंगाबाद

विषय :- डॉ. डी.पी.सिंह के विरूध्द म.प्र सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के अतंर्गत विभागीय जॉच ।

स्वास्थ्य आयुक्त भोपाल म.प्र. द्वारा आपके विरूध्द लगाये गये आरोपो की जॉच के लिए कार्यालयीन आदेश क्रमांक डीई-2/2018/1324 दिनांक 16.07.2018 द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रकरण में जॉच अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

प्रकरण में सुनवाई दिनांक 21.08.2018 को कार्यालय मे पूर्वान्ह 12 बजे को की जायेगी । अत: नियत दिनांक व समय पर आप स्वंय तथा अपने बचाव सहायक के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करे । सूचनापरांत आप अनुपस्थित रहेंगी तो नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही कर प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जायेगी ।

यदि बचाव सहायक का विवरण उनकी सहमति और उनके नियंत्रण अधिकारी की जानकारी दिनांक 21.08.2018 तक प्रस्तुत की जायेगी तो उनके लिए आवश्यक अनुदेश जारी किया जायेगा । कार्यालय अथवा सेवा निवृत्त शासकीय सेवक का बचाव सहायक के रूप में नामांकित करने के लिए कृपया राज्य शासन के निर्देशो का पालन करना सुनिश्चित करें ।

राधावल्लभ शर्मा
विभागीय जॉच अधिकारी
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐ .भोपाल(म.प्र)
Mob No 94253-74401

पृष्ठांकन क्रमांक /14

भोपाल दिनांक 7/8/2018

प्रतिलिपि:-

1:- प्रकरण में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल / सिविल सर्जन भोपाल उपरोक्त तिथि और समय पर सूचीबद्ध अभिलेखो एवं यदि प्रांरभिक जॉच हुई है तो साक्षियो के लिए गए कथनो की प्रतिलिपि सहित उपस्थित होना सुनिश्चित करे ।

2:- संभागीय संयुक्त संचालक भोपाल की ओर भेजकर लेख है कि कृपया अपचारी सेवक तथा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को निर्धारित तिथि को मेरे समक्ष उपस्थित होने के लिए आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करे तथा आगामी पेशियो को भी कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करे , ताकि विभागीय जॉच की सुनवाई मे विलम्ब ना हो ।

राधावल्लभ शर्मा
विभागीय जॉच अधिकारी

कार्यालय विभागीय जॉच अधिकारी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

आई. ई. सी. ब्यूरो केम्पस , जे.पी.अस्पताल , 2 नं. बस स्टॉप भोपाल

क्रमांक :-061 दिनांक 06.08.2018 प्रति,

डॉ. प्रदीप सक्सेना
स्त्री रोग विशेषज्ञ , सिविल अस्पताल डबरा
जिला ग्वालियर

विषय :- डॉ. प्रदीप सक्सेना के विरूध्द म.प्र सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के अतंर्गत विभागीय जॉच ।

स्वास्थ्य आयुक्त भोपाल म.प्र. द्वारा आपके विरूध्द लगाये गये आरोपो की जॉच के लिए कार्यालयीन आदेश क्रमांक डीई-2/2018/1326 दिनांक 16.07.2018 द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रकरण में जॉच अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

प्रकरण में सुनवाई दिनांक 21.08.2018 को कार्यालय मे पूर्वान्ह 12 बजे को की जायेगी । अत: नियत दिनांक व समय पर आप स्वंय तथा अपने बचाव सहायक के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करे । सूचनापरांत आप अनुपस्थित रहेंगी तो नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही कर प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जायेगी ।

यदि बचाव सहायक का विवरण उनकी सहमति और उनके नियंत्रण अधिकारी की जानकारी दिनांक 21.08.2018 तक प्रस्तुत की जायेगी तो उनके लिए आवश्यक अनुदेश जारी किया जायेगा । कार्यालय अथवा सेवा निवृत्त शासकीय सेवक का बचाव सहायक के रूप में नामांकित करने के लिए कृपया राज्य शासन के निर्देशो का पालन करना सुनिश्चित करें ।

राधावल्लभ शर्मा
विभागीय जॉच अधिकारी
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐ .भोपाल(म.प्र)
Mob.NO. 94253-74401

पृष्ठांकन क्रमांक /12 भोपाल दिनांक 7/8/2018

प्रतिलिपि:-

1:- प्रकरण में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ग्वालियर / सिविल सर्जन ग्वालियर उपरोक्त तिथि और समय पर सूचीबद्ध अभिलेखो एवं यदि प्रांरभिक जॉच हुई है तो साक्षियो के लिए गए कथनो की प्रतिलिपि सहित उपस्थित होना सुनिश्चित करे ।

2:- संभागीय संयुक्त संचालक ग्वालियर की ओर भेजकर लेख है कि कृपया अपचारी सेवक तथा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को निर्धारित तिथि को मेरे समक्ष उपस्थित होने के लिए आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करे तथा आगामी पेशियो को भी कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करे , ताकि विभागीय जॉच की सुनवाई मे विलम्ब ना हो ।

राधावल्लभ शर्मा
विभागीय जॉच अधिकारी

कार्यालय विभागीय जॉच अधिकारी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

आई. ई. सी. ब्यूरो केम्पस , जे.पी.अस्पताल , 2 नं. बस स्टॉप भोपाल

क्रमांक :-09 दिनांक 06.08.2018

प्रति,

डॉ. लेखा तिवारी
तत्कालीन स्त्री रोग विशेषज्ञ
जिला चिकित्सालय गुना

विषय :- डॉ. लेखा तिवारी के विरूध्द म.प्र सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के अतंर्गत विभागीय जॉच ।

स्वास्थ्य आयुक्त भोपाल म.प्र. द्वारा आपके विरूध्द लगाये गये आरोपो की जॉच के लिए कार्यालयीन आदेश क्रमांक डीई-2/2018/1339 दिनांक 17.07.2018 द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रकरण में जॉच अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

प्रकरण में सुनवाई दिनांक 21.08.2018 को कार्यालय मे पूर्वान्ह 12 बजे को की जायेगी । अतः नियत दिनांक व समय पर आप स्वंय तथा अपने बचाव सहायक के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करे । सूचनापरांत आप अनुपस्थित रहेंगी तो नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही कर प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जायेगी ।

यदि बचाव सहायक का विवरण उनकी सहमति और उनके नियंत्रण अधिकारी की जानकारी दिनांक 21.08.2018 तक प्रस्तुत की जायेगी तो उनके लिए आवश्यक अनुदेश जारी किया जायेगा । कार्यालय अथवा सेवा निवृत्त शासकीय सेवक का बचाव सहायक के रूप में नामांकित करने के लिए कृपया राज्य शासन के निर्देशो का पालन करना सुनिश्चित करें ।

दिनेशचन्द्र सिंघी
विभागीय जॉच अधिकारी
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐ .भोपाल(म.प्र)
Mob- No 7747005301

पृष्ठांकन क्रमांक/10 भोपाल दिनांक 7/8/2018

प्रतिलिपि:-

1:- प्रकरण में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी गुना / सिविल सर्जन गुना उपरोक्त तिथि और समय पर सूचीबद्ध अभिलेखो एवं यदि प्रांरभिक जॉच हुई है तो साक्षियो के लिए गए कथनो की प्रतिलिपि सहित उपस्थित होना सुनिश्चित करे ।

2:- संभागीय संयुक्त संचालक ~~गुना~~ ग्वालियर की ओर भेजकर लेख है कि कृपया अपचारी सेवक तथा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को निर्धारित तिथि को मेरे समक्ष उपस्थित होने के लिए आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करे तथा आगामी पेशियो को भी कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करे , ताकि विभागीय जॉच की सुनवाई मे विलम्ब ना हो ।

दिनेशचन्द्र सिंघी
विभागीय जॉच अधिकारी

कार्यालय विभागीय जॉच अधिकारी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

आई. ई. सी. ब्यूरो केम्पस , जे.पी.अस्पताल , 2 नं. बस स्टॉप भोपाल

क्रमांक :-07 दिनांक 06.08.2018

प्रति,

डॉ.जगदीश प्रसाद
तत्कालीन खण्ड चिकित्सा अधिकारी , सामुदायिक
स्वास्थ्य केन्द्र लखनादौन , जिला सिवनी

विषय :- डॉ.जगदीश प्रसाद के विरूध्द म.प्र सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के अतंर्गत विभागीय जॉच ।

स्वास्थ्य आयुक्त भोपाल म.प्र. द्वारा आपके विरूध्द लगाये गये आरोपो की जॉच के लिए कार्यालयीन आदेश क्रमांक डीई-2/2018/1332 दिनांक 16.07.2018 द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रकरण में जॉच अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

प्रकरण में सुनवाई दिनांक 21.08.2018 को कार्यालय मे पूर्वान्ह 12 बजे को की जायेगी । अत: नियत दिनांक व समय पर आप स्वंय तथा अपने बचाव सहायक के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करे । सूचनापरांत आप अनुपस्थित रहेंगी तो नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही कर प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जायेगी ।

यदि बचाव सहायक का विवरण उनकी सहमति और उनके नियंत्रण अधिकारी की जानकारी दिनांक 21.08.2018 तक प्रस्तुत की जायेगी तो उनके लिए आवश्यक अनुदेश जारी किया जायेगा । कार्यालय अथवा सेवा निवृत्त शासकीय सेवक का बचाव सहायक के रूप में नामांकित करने के लिए कृपया राज्य शासन के निर्देशो का पालन करना सुनिश्चित करें ।

दिनेशचन्द्र सिंघी
विभागीय जॉच अधिकारी
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐ .भोपाल(म.प्र)
Mob-NO. 7747005301

पृष्ठांकन क्रमांक/08 भोपाल दिनांक 7/8/2018

प्रतिलिपि:-

1:- प्रकरण में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिवनी / सिविल सर्जन सिवनी उपरोक्त तिथि और समय पर सूचीबद्ध अभिलेखो एवं यदि प्रांरभिक जॉच हुई है तो साक्षियो के लिए गए कथनो की प्रतिलिपि सहित उपस्थित होना सुनिश्चित करे ।

2:- संभागीय संयुक्त संचालक सिवनी की ओर भेजकर लेख है कि कृपया अपचारी सेवक तथा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को निर्धारित तिथि को मेरे समक्ष उपस्थित होने के लिए आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करे तथा आगामी पेशियो को भी कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करे , ताकि विभागीय जॉच की सुनवाई मे विलम्ब ना हो ।

दिनेशचन्द्र सिंघी
विभागीय जॉच अधिकारी

कार्यालय विभागीय जॉच अधिकारी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

आई. ई. सी. ब्यूरो केम्पस , जे.पी.अस्पताल , 2 नं. बस स्टॉप भोपाल

क्रमांक :-05 दिनांक 06.08.2018

प्रति,

डॉ.मंजू सिंह
स्त्री रोग विशेषज्ञ
जिला चिकित्सालय रतलाम

विषय :- डॉ.मंजू सिंह के विरूध्द म.प्र सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के अतंर्गत विभागीय जॉच ।

स्वास्थ्य आयुक्त भोपाल म.प्र. द्वारा आपके विरूध्द लगाये गये आरोपो की जॉच के लिए कार्यालयीन आदेश क्रमांक डीई-2/2018/1328 दिनांक 16.07.2018 द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रकरण में जॉच अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

प्रकरण में सुनवाई दिनांक 21.08.2018 को कार्यालय मे पूर्वान्ह 12 बजे को की जायेगी । अत: नियत दिनांक व समय पर आप स्वंय तथा अपने बचाव सहायक के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करे । सूचनापरांत आप अनुपस्थित रहेंगी तो नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही कर प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जायेगी ।

यदि बचाव सहायक का विवरण उनकी सहमति और उनके नियंत्रण अधिकारी की जानकारी दिनांक 21.08.2018 तक प्रस्तुत की जायेगी तो उनके लिए आवश्यक अनुदेश जारी किया जायेगा । कार्यालय अथवा सेवा निवृत्त शासकीय सेवक का बचाव सहायक के रूप में नामांकित करने के लिए कृपया राज्य शासन के निर्देशो का पालन करना सुनिश्चित करें ।

दिनेशचन्द्र सिंघी 7/8/18
विभागीय जॉच अधिकारी
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐ .भोपाल(म.प्र)
7747005301

पृष्ठांकन क्रमांक 06 भोपाल दिनांक 7/8/2018

प्रतिलिपि:-

1:- प्रकरण में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रतलाम / सिविल सर्जन रतलाम उपरोक्त तिथि और समय पर सूचीबद्ध अभिलेखो एवं यदि प्रांरभिक जॉच हुई है तो साक्षियो के लिए गए कथनो की प्रतिलिपि सहित उपस्थित होना सुनिश्चित करे ।

2:- संभागीय संयुक्त संचालक उज्जैन (वर्तमान पदनाम क्षेत्रीय संचालक) की ओर भेजकर लेख है कि कृपया अपचारी सेवक तथा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को निर्धारित तिथि को मेरे समक्ष उपस्थित होने के लिए आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करे तथा आगामी पेशियो को भी कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करे , ताकि विभागीय जॉच की सुनवाई मे विलम्ब ना हो ।

दिनेशचन्द्र सिंघी
विभागीय जॉच अधिकारी

कार्यालय विभागीय जॉच अधिकारी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

आई. ई. सी. ब्यूरो केम्पस , जे.पी.अस्पताल , 2 नं. बस स्टॉप भोपाल

क्रमांक :-03 दिनांक 06.08.2018 प्रति,

डॉ.उषा तिवारी
महिला चिकित्सा अधिकारी,सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
नौगांव ,जिला छतरपुर

विषय :- डॉ. उषा तिवारी के विरूध्द म.प्र सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के अतंर्गत विभागीय जॉच ।

स्वास्थ्य आयुक्त भोपाल म.प्र. द्वारा आपके विरूध्द लगाये गये आरोपो की जॉच के लिए कार्यालयीन आदेश क्रमांक डीई-2/2018/1436 दिनांक 04.08.2018 द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रकरण में जॉच अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

प्रकरण में सुनवाई दिनांक 21.08.2018 को कार्यालय मे पूर्वान्ह 12 बजे को की जायेगी । अत: नियत दिनांक व समय पर आप स्वंय तथा अपने बचाव सहायक के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करे । सूचनापरांत आप अनुपस्थित रहेंगी तो नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही कर प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जायेगी ।

यदि बचाव सहायक का विवरण उनकी सहमति और उनके नियंत्रण अधिकारी की जानकारी दिनांक 21.08.2018 तक प्रस्तुत की जायेगी तो उनके लिए आवश्यक अनुदेश जारी किया जायेगा । कार्यालय अथवा सेवा निवृत्त शासकीय सेवक का बचाव सहायक के रूप में नामांकित करने के लिए कृपया राज्य शासन के निर्देशो का पालन करना सुनिश्चित करें ।

दिनेशचन्द्र सिंघी
विभागीय जॉच अधिकारी
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐ ,भोपाल(म.प्र)

O/C Mob No. 7747005309

पृष्ठांकन क्रमांक /04 भोपाल दिनांक 7/8/2018

प्रतिलिपि:-

1:- प्रकरण में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी छतरपुर / सिविल सर्जन छतरपुर उपरोक्त तिथि और समय पर सूचीबद्व अभिलेखो एवं यदि प्रांरभिक जॉच हुई है तो साक्षियो के लिए गए कथनो की प्रतिलिपि सहित उपस्थित होना सुनिश्चित करे ।

2:- संभागीय संयुक्त संचालक छतरपुर की ओर भेजकर लेख है कि कृपया अपचारी सेवक तथा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को निर्धारित तिथि को मेरे समक्ष उपस्थित होने के लिए आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करे तथा आगामी पेशियो को भी कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करे , ताकि विभागीय जॉच की सुनवाई मे विलम्ब ना हो ।

दिनेशचन्द्र सिंघी
विभागीय जॉच अधिकारी

O/C

कार्यालय विभागीय जॉच अधिकारी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

आई. ई. सी. ब्यूरो केम्पस , जे.पी.अस्पताल , 2 नं. बस स्टॉप भोपाल

क्रमांक :-01 दिनांक 06.08.2018 प्रति,

डॉ.एस.आर.चौहान
तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला मन्दसौर

विषय :- श्री डॉ.एस.आर.चौहान के विरूध्द म.प्र सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के अतंर्गत विभागीय जॉच ।

स्वास्थ्य आयुक्त भोपाल म.प्र. द्वारा आपके विरूध्द लगाये गये आरोपो की जॉच के लिए कार्यालयीन आदेश क्रमांक डीई-2/2018/1330 दिनांक 11.07.2018 द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रकरण में जॉच अधिकारी नियुक्त किया गया है ।

प्रकरण में सुनवाई दिनांक 21.08.2018 को कार्यालय मे पूर्वान्ह 12 बजे को की जायेगी । अत: नियत दिनांक व समय पर आप स्वंय तथा अपने बचाव सहायक के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करे । सूचनापरांत आप अनुपस्थित रहेंगे तो नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही कर प्रकरण में आगामी कार्यवाही की जायेगी ।

यदि बचाव सहायक का विवरण उनकी सहमति और उनके नियंत्रण अधिकारी की जानकारी दिनांक 21.08.2018 तक प्रस्तुत की जायेगी तो उनके लिए आवश्यक अनुदेश जारी किया जायेगा । कार्यालय अथवा सेवा निवृत्त शासकीय सेवक का बचाव सहायक के रूप में नामांकित करने के लिए कृपया राज्य शासन के निर्देशो का पालन करना सुनिश्चित करें ।

दिनेशचन्द्र सिंघी 7/8/18
विभागीय जॉच अधिकारी
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐ ,भोपाल(म.प्र)
Mob NO. 7747005301

पृष्ठांकन क्रमांक /02 भोपाल दिनांक 7/8/2018

प्रतिलिपि:-

1:- प्रकरण में प्रस्तुतकर्ता अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मंदसौर / सिविल सर्जन मंदसौर उपरोक्त तिथि और समय पर सूचीबद्ध अभिलेखो एवं यदि प्रांरभिक जॉच हुई है तो साक्षियो के लिए गए कथनो की प्रतिलिपि सहित उपस्थित होना सुनिश्चित करे ।

2:-संभागीय संयुक्त संचालक उज्जैन की ओर भेजकर लेख है कि कृपया अपचारी सेवक तथा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को निर्धारित तिथि को मेरे समक्ष उपस्थित होने के लिए आवश्यक निर्देश देने का कष्ट करे तथा आगामी पेशियो को भी कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करे , ताकि विभागीय जॉच की सुनवाई मे विलम्ब ना हो ।

दिनेशचन्द्र सिंघी
विभागीय जॉच अधिकारी

REGD. AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी.ब्यूरो केम्पस, जे.पी. चिकित्सालय परिसर , भोपाल

क्रं :- एफ 19-33/2018/17/मेडी-1

भोपाल, दिनांक 12/07/2018

प्रति,

डॉ दीपशिखा मण्डलोई
चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय खण्डवा म.प्र. ।

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत् ।
संदर्भ :- इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 11-05-2018

नोटिस

उपरोक्त संदर्भित नोटिस का कृपया अवलोकन करे । अपरिहार्य कारणो से दिनांक 31-05-2018 को प्रकरण में सुनवाई नही की जा सकी ।

प्रकरण में पुन: एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आपके विरूध्द संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/ बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक **26/07/2018** को समय प्रात: 11 बजे मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए ।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरूध्द प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।

(गिरीश कुमार नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी

पृष्ठांकन क्रमांक:- एफ 19-33/2018/17/मेडी-1

भोपाल / दिनांक 12/07/2018

प्रतिलिपि ~~मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी~~ / सिविल सर्जन खण्डवा म.प्र. की ओर प्रेषित कर लेख है की आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए । आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित कार्यालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचो के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक **28/07/2018** से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे ।

(गिरीश कुमार नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी

REGD. AD.

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी

आई.ई.सी.ब्यूरो केम्पस, जे.पी. चिकित्सालय परिसर , भोपाल

क्रं :- एफ 19-39/2018/17/मेडी-1

भोपाल, दिनांक 12/07/2018

प्रति,

डॉ नेहा राजौरीया

चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय बडवानी म.प्र. ।

विषय : विभागीय जांच मैं उपस्थित होने बाबत् ।

संदर्भ :- इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 11-05-2018

नोटिस

उपरोक्त संदर्भित नोटिस का कृपया अवलोकन करे । अपरिहार्य कारणो से दिनांक 14-06-2018 को प्रकरण में सुनवाई नही की जा सकी ।

प्रकरण में पुन: एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आपके विरूध्द संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/ बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक **28/07/2018** को समय प्रात: 11 बजे मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए ।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरूध्द प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।

(गिरीश कुमार नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी

(गिरीश कुमार नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी
, लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

पृष्ठाकंन क्रमांक:- एफ 19-39/2018/17/मेडी-1

भोपाल / दिनांक 12/07/2018

प्रतिलिपि ~~मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी~~ / सिविल सर्जन शाजापुर म.प्र. की ओर प्रेषित कर लेख है की आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए । आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित कार्यालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचो के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक **28/07/2018** से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे ।

(गिरीश कुमार नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी

(गिरीश कुमार नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी
, लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

REGD. AD.

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी

आई.ई.सी.ब्यूरो केम्पस, जे.पी. चिकित्सालय परिसर , भोपाल

क्रं :- एफ 19-92/2018/17/मेडी-1

भोपाल, दिनांक 12/07/2018

प्रति,

डॉ रश्मि उपाध्याय

चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय भिण्ड म.प्र. ।

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत् ।

संदर्भ :- इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 11-05-2018

नोटिस

उपरोक्त संदर्भित नोटिस का कृपया अवलोकन करे । अपरिहार्य कारणो से दिनांक 31-05-2018 को प्रकरण में सुनवाई नही की जा सकी ।

प्रकरण में पुनः एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आपके विरूध्द संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/ बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक **26/07/2018** को समय प्रातः 11 बजे मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए ।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरूध्द प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।

(गिरीश कुमार नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी

(गिरीश कुमार नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक:- एफ 19-92/2018/17/मेडी-1

भोपाल, दिनांक 12/07/2018

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भिण्ड / सिविल सर्जन भिण्ड म.प्र. की ओर प्रेषित कर लेख है की आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए । आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित कार्यालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचो के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक **26/07/2018** से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे ।

(गिरीश कुमार नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी

(गिरीश कुमार नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

REGD. AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी.ब्यूरो केम्पस, जे.पी. चिकित्सालय परिसर , भोपाल

क्रं :- एफ 19-33/2018/17/मेडी-1 भोपाल, दिनांक 12/07/2018

प्रति,

डॉ स्नेहा कामरा
चिकित्सा अधिकारी ए-75 , बख्तावर राम नगर , इंदौर , म.प्र. ।

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत् ।
संदर्भ :- इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 04-05-2018

नोटिस

उपरोक्त संदर्भित नोटिस का कृपया अवलोकन करे । अपरिहार्य कारणो से दिनांक 14-06-2018 को प्रकरण में सुनवाई नही की जा सकी ।

प्रकरण में पुनः एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आपके विरुध्द संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/ बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक **28/07/2018** को समय प्रातः 11 बजे मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए ।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरुध्द प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।

(गिरीश कुमार नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी
(गिरीश कुमार नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग
भोपाल / दिनांक 12/07/2018

पृष्ठांकन क्रमांक:- एफ 19-33/2018/17/मेडी-1

प्रतिलिपि ~~मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी~~ / सिविल सर्जन भोपाल म.प्र. की ओर प्रेषित कर लेख है की आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को उक्त पते पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए । आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित कार्यालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचो के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक **28/07/2018** से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे ।

(गिरीश कुमार नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी
(गिरीश कुमार नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

REGD. AD.

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी

आई.ई.सी.ब्यूरो केम्पस, जे.पी. चिकित्सालय परिसर , भोपाल

क्रं :- एफ 19-06/2018/17/मेडी-1 भोपाल, दिनांक 12/07/2018

प्रति,

डॉ स्मिता सिंह

चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय शाजापुर म.प्र. ।

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बावत् ।

संदर्भ :- इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 04-05-2018

नोटिस

उपरोक्त संदर्भित नोटिस का कृपया अवलोकन करे । अपरिहार्य कारणो से दिनांक 31-05-2018 को प्रकरण में सुनवाई नही की जा सकी ।

प्रकरण में पुन: एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आपके विरूध्द संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/ बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक **26/07/2018** को समय प्रात: 11 बजे मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए ।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरूध्द प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।

12/7/18

(गिरीश कुमार नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी

पृष्ठांकन क्रमांक:- एफ 19-06/2018/17/मेडी-1 भोपाल / दिनांक 12/07/2018

प्रतिलिपि ~~मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी~~ / सिविल सर्जन शाजापुर म.प्र. की ओर प्रेषित कर लेख है की आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए । आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित कार्यालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचो के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक **26/07/2018** से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे ।

(गिरीश कुमार नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी

(गिरीश कुमार नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी

लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

REGD. AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी.ब्यूरो केम्पस, जे.पी. चिकित्सालय परिसर , भोपाल

क्रं :- ....636/233/2018/17/मेडी-1 भोपाल, दिनांक 12/07/2018

प्रति,

डॉ श्वेता वास्कले
चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय बडवानी म.प्र. ।

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत् ।
संदर्भ :- इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 11-05-2018

नोटिस

उपरोक्त संदर्भित नोटिस का कृपया अवलोकन करे । अपरिहार्य कारणो से दिनांक 14-06-2018 को प्रकरण में सुनवाई नही की जा सकी ।

प्रकरण में पुन: एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आपके विरूध्द संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/ बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक **28/07/2018** को समय प्रात: 11 बजे मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए ।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरूध्द प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।

(गिरीश कुमार नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी
(गिरीश कुमार नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक:- ....636/233/2018/17/मेडी-1 भोपाल / दिनांक 12/07/2018

प्रतिलिपि ~~मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी~~ / सिविल सर्जन बडवानी म.प्र. की ओर प्रेषित कर लेख है की आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए । आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित कार्यालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचो के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक **28/07/2018** से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे ।

(गिरीश कुमार नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी
(गिरीश कुमार नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा., एवं परि. क. विभाग

REGD. AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी.ब्यूरो केम्पस, जे.पी. चिकित्सालय परिसर , भोपाल

क्रं :- एफ 19-38/2018/17/मेडी-1 भोपाल, दिनांक 12/07/2018

प्रति,

डॉ नीतूबाला आर्य
चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय बड़वानी म.प्र. ।

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत् ।
संदर्भ :- इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 11-05-2018

नोटिस

उपरोक्त संदर्भित नोटिस का कृपया अवलोकन करे । अपरिहार्य कारणो से दिनांक 31-05-2018 को प्रकरण में सुनवाई नही की जा सकी ।

प्रकरण में पुन: एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आपके विरूध्द संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/ बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक **26/07/2018** को समय प्रात: 11 बजे मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए ।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरूध्द प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।

(गिरीश कुमार नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी
(गिरीश कुमार नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक:- एफ 19-38/2018/17/मेडी-1 भोपाल, दिनांक 12/07/2018

प्रतिलिपि ~~मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी~~ / सिविल सर्जन बड़वानी म.प्र. की ओर प्रेषित कर लेख है की आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए । आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित कार्यालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचो के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक **26/07/2018** से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे ।

(गिरीश कुमार नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी
(गिरीश कुमार नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

REGD. AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी.ब्यूरो केम्पस, जे.पी. चिकित्सालय परिसर , भोपाल

क्रं :- एफ 19-40/2018/17/मेडी-1 भोपाल, दिनांक 9 /07/2018

प्रति,

डॉ मोहम्मद फरीद खान
चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय सतना म.प्र. ।

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत् ।
संदर्भ :- इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 11-05-2018

नोटिस

उपरोक्त संदर्भित नोटिस का कृपया अवलोकन करें । अपरिहार्य कारणो से दिनांक 31-05-2018 को प्रकरण में सुनवाई नही की जा सकी ।

प्रकरण में पुनः एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आपके विरूध्द संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/ बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक **26/07/2018** को समय प्रातः 11 बजे मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए ।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरूध्द प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।

(गिरीश कुमार नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी
(गिरीश कुमार नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक:- एफ 19-40/2018/17/मेडी-1 भोपाल, दिनांक 9 /07/2018

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला सतना म.प्र. की ओर प्रेषित कर लेख है की आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए । आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित कार्यालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचो के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक **26/07/2018** से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे ।

(गिरीश कुमार नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी
(गिरीश कुमार नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. वि.

REGD. AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी.ब्यूरो केम्पस, जे.पी. चिकित्सालय परिसर , भोपाल

क्र :- एफ 19-45/2018/17/मेडी-1 भोपाल, दिनांक 9 /07/2018

प्रति,

डॉ सोमनाथ चौरसिया
चिकित्सा अधिकारी प्रा.स्वा.केन्द्र पगारखुर्द जिला सतना म.प्र. ।

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत् ।
संदर्भ :- इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 11-05-2018

नोटिस

उपरोक्त संदर्भित नोटिस का कृपया अवलोकन करे । अपरिहार्य कारणो से दिनांक 14-06-2018 को प्रकरण में सुनवाई नही की जा सकी ।

प्रकरण में पुन: उतंद द्वारा सूचित किया जाता है कि आपके विरूध्द संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/ बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक **28/07/2018** को समय प्रात: 11 बजे मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए ।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरूध्द प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।

(गिरीश कुमार नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी

पृष्ठांकन क्रमांक:- एफ 19-45/2018/17/मेडी-1 भोपाल / दिनांक 9/07/2018

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला सतना म.प्र. की ओर प्रेषित कर लेख है की आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए । आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित कार्यालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचो के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक **28/07/2018** से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे ।

(गिरीश कुमार नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी

REGD. AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी.ब्यूरो केम्पस, जे.पी. चिकित्सालय परिसर , भोपाल

क्रं :- एफ 19-47/2018/17/मेडी-1 भोपाल, दिनांक 9 /07/2018

प्रति,
डॉ मोहम्मद खालिद सिद्दीकी
चिकित्सा अधिकारी प्रा.स्वा.केन्द्र सरवानिया महाराज जिला नीमच म.प्र. ।

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत् ।
संदर्भ :- इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 11-05-2018

नोटिस

उपरोक्त संदर्भित नोटिस का कृपया अवलोकन करे । अपरिहार्य कारणो से दिनांक 14-06-2018 को प्रकरण में सुनवाई नही की जा सकी ।

प्रकरण में पुनः तदद्वारा सूचित किया जाता है कि आपके विरूध्द संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/ बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक **28/07/2018** को समय प्रातः 11 बजे मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए ।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरूध्द प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।

(गिरीश कुमार नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी

पृष्ठांकन क्रमांक:- एफ 19-47/2018/17/मेडी-1 भोपाल / दिनांक 9 /07/2018

प्र.क्र.F. 19-15 /2018/17/Med-1

REGD.AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी ब्यूरो केम्पस, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. F. 19-15 /2018/17/Med-1 भोपाल, दिनांक 28/6 2018

प्रति,

डा. अवधेश कुमार शर्मा चिकित्सा अधिकारी,
प्रा. स्वा. केन्द्र महाराजपुर - जिला छतरपुर

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

एतद्द्वारा आपको सुचित किया जाता है कि आपके विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज/मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक 16/07/2018 को समय 11 बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरूद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(आर.सी.सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी

(आर. सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक F. 19-15 /2018/17/Med-1 भोपाल, दिनांक 28/6/2018

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी । सिविल सर्जन छतरपुर की ओर प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक 16/07/18. से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी

(आर. सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

प्र.क्र.F. 19-34 /2018/17/Med-1

REGD.AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी ब्यूरो केम्पस, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. F. 19-34 /2018/17/Med-1 भोपाल, दिनांक 28/6/2018

प्रति,

डा. राजेन्द्र सिंह चौहान चिकित्सा अधिकारी (प्रभारी उपसंचालक) संचालनालय स्वा० सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

एतद्द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज/मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक 16/07/2018 को समय 11 बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरूद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक F. 19-34 /2018/17/Med-1 भोपाल, दिनांक 28/6/2018

संयुक्त संचालक कार्यालय स्थापना, संचालनालय स्वा० सेवायें, ~~प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / सिविल सर्जन~~ सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक 16/07/18 से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

प्र.क्र.F. 19-99 /2018/17/Med-1

REGD.AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी ब्यूरो केम्पस, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. F. 19-99 /2018/17/Med-1 भोपाल, दिनांक 28/6 2018

प्रति,

डा. रामेश्वर शरण गुप्ता चिकित्सा अधिकारी
प्रा० स्वा० केन्द्र मोहनपुर जिला ग्वालियर (म०प्र०)

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

एतद्द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज/मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक 16/07 /2018 को समय 11 बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरूद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(आर.सी.सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
(आर. सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक F. /2018/17/Med-1 भोपाल, दिनांक 28/6/2018

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी। सिविल सर्जन ग्वालियर की ओर प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक 16/07/18 से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(आर.सी.सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
(आर. सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

प्र.क्र.F. 19-19 /2018/17/Med-1

REGD.AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी ब्यूरो केम्पस, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. F. 19-19 /2018/17/Med-1 भोपाल, दिनांक 28/6 2018

प्रति,
डा. ....
....

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

एतद्द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज/मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक 16/07 /2018 को समय 11 बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरूद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(आर.सी.सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी

(आर. सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी

पृष्ठांकन क्रमांक F. 19-19 /2018/17/Med-1 भोपाल, दिनांक 28/6/2018

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी। सिविल सर्जन .... की ओर प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक 16/07/18 से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी

(आर. सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

प्र.क्र.F. 19-18 /2018/17/Med-1

REGD.AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी ब्यूरो केम्पस, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. F. 19-18 /2018/17/Med-1 भोपाल, दिनांक 28/6 2018

प्रति,
डा. सौरभ [illegible] चिकित्सा अधिकारी
जिला चिकित्सालय [illegible]

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

एतद्द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज/मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक 16/07 /2018 को समय 11 बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरूद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(आर.सी.सक्सेना)
(आर. सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक F. 19-18 /2018/17/Med-1 भोपाल, दिनांक [illegible] /2018

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी। सिविल सर्जन [illegible] की ओर प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक 16/07/18 से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
(आर. सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

प्र.क्र.F. 19-16 /2018/17/Med-1

REGD.AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी ब्यूरो केम्पस, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. F. 19-16 /2018/17/Med-1 भोपाल, दिनांक 28/6/2018

प्रति,

डा. नवनीत अग्रवाल चिकित्सा अधिकारी
प्रा० स्वा० केन्द्र ...., जिला छतरपुर

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

एतद्द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज/मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक 16/07/2018 को समय 11 बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरूद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(आर.सी.सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक F. 19-16 /2018/17/Med-1 भोपाल, दिनांक 28/6/2018

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी। सिविल सर्जन छतरपुर की ओर प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक 16/07/18 से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

REGD. AD.

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी

आई.ई.सी.ब्यूरो भवन , जे.पी. चिकित्सालय परिसर , भोपाल

क्र :- एफ 19-34/2018/17/मेडी-1 भोपाल, दिनांक 30/05/2018

प्रति,

डॉ राजेन्द्र सिंह चौहान

चिकित्सा अधिकारी (प्रभारी उप संचालक), संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐ सतपुड़ा भवन भोपाल ।

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत् ।

नोटिस

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरूध्द संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/ बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृप्या नियत **दिनांक 11/06/2018** को समय प्रात: 11 बजे मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए ।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरूध्द प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।

(आर.सी.सक्सेना)

विभागीय जांच अधिकारी

(आर. सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक:- एफ 19-34/2018/17/मेडी-1 भोपाल / दिनांक 30/05/2018

प्रतिलिपि संयुक्त संचालक कार्यालय स्थापना संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐ सतपुड़ा भवन भोपाल म.प्र. की ओर प्रेषित कर लेख है की आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए । आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित कार्यालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचो के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक **11/06/2018** से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे ।

(आर.सी.सक्सेना)

विभागीय जांच अधिकारी

(आर. सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

प्र.क्र. F- 19 -23/२०१८/१७/मेडी-१

REGD.AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. F 19 -23 /२०१८ /१७ /मेडी -१   भोपाल, दिनांक ..18/5/..२०१८

प्रति,

डॉ. आलोक कुमार नामदेव, चिकि० अधि०
जिला चिकित्सालय राजगढ़ (म० प्र०)

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

एतद्द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक...04/06/18....२०१८ को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरूद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(आर.सी.सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी

पृष्ठांकन क्रमांक F 19 -23 /२०१८ /१७ /मेडी -१   भोपाल, दिनांक 18/5/२०१८

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ......राजगढ़ (म० प्र०)......की ओर प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक 04/06/18... से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी

प्र.क्र. 19-15 /२०१८/१७/मेडी-१

REGD.AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. /२०१८ /१७ /मेडी -१ भोपाल, दिनांक 18/5/२०१८

प्रति,

डा० अवधेश कुमार शर्मा चि० अधि०
प्रा० स्वा० केन्द्र महाराजपुर जिला छतरपुर (म०प्र०)

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

एतदद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक 04/06/18 २०१८ को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरूद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी

(आर. सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
लो स्वा एवं प क विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक 19/15 /२०१८ /१७ /मेडी -१ भोपाल, दिनांक 18/5/२०१८

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला छतरपुर (म०प्र०) की ओर प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक 04/06/18 से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी

(आर. सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
लो स्वा एवं प क विभाग

प्र.क्र. 19-89 /२०१८/१७/मेडी-१

REGD.AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. 19-89 /२०१८/१७/मेडी-१ भोपाल, दिनांक 18/5/२०१८

प्रति,

आर. चन्द्रभान पाटलर फिजि. ओ. आपेक्ष
....
.... चिकित्सालय बैतूल (म.प्र.)

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

एतदद्वारा आपको सुचित किया जाता है कि आपके विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक 30/05/18 २०१८ को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरूद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(आर.सी.सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक 19-89/२०१८/१७/मेडी-१ भोपाल, दिनांक 18/5/२०१८

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बैतूल (म.प्र.) की ओर प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक 30/05/18 से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

प्र.क्र. F 19-16 /२०१८/१७/मेडी-१

REGD.AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. F 19-16 /२०१८/१७/मेडी-१ भोपाल, दिनांक 18/5/..२०१८

प्रति,

डॉ. नवनीत प्रकाश, पी.जी.एम.ओ.
प्रा.स्वा. केन्द्र लवकुशनगर जिला छतरपुर (म.प्र.)

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

एतदद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक 04/06/18..२०१८ को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरूद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(आर.सी.सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी

पृष्ठांकन क्रमांक F 19-16/२०१८/१७/मेडी-१ भोपाल, दिनांक 18/5/२०१८

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला छतरपुर (म.प्र.) की ओर प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक 04/06/18.. से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी

प्र.क्र. F 19-87/२०१८/१७/मेडी-१

REGD.AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. F 19-87 /२०१८ /१७ /मेडी -१ भोपाल, दिनांक 18/5/२०१८

प्रति,

डॉ. ... होशंगाबाद (म.प्र.)

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

एतदद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक 30/05/18....२०१८ को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए ।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरूद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।

(आर.सी.सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी

पृष्ठांकन क्रमांक F 19-87/२०१८ /१७ /मेडी-१ भोपाल, दिनांक .../.../२०१८

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला होशंगाबाद (म.प्र.) की ओर प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक 30.05.18.. से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए । आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे ।

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी

(आर. सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं प. क. विभाग

प्र.क्र. एफ 15-9/2018/17/मेडी-1

REGD.AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. एफ 15-9/ /२०१८ /१७ /मेडी -१ भोपाल, दिनांक 18/5/२०१८

प्रति,

डॉ. आर.एस. सिंह चिकित्सा अधिकारी
जिला चिकित्सालय, शिवपुरी (म.प्र.)

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

एतदद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक 04/06/18....२०१८ को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरूद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।

(आर.सी.सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी

पृष्ठांकन क्रमांक एफ 15-9/ /२०१८ /१७ /मेडी -१ भोपाल,दिनांक 18/5/२०१८

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ....शिवपुरी (म.प्र.)....की ओर प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक 04/06/18... से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी

प्र.क्र. f 19-17/२०१८/१७/मेडी-१

REGD.AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. f 19-17 /२०१८/१७/मेडी-१ भोपाल, दिनांक 18/5/..२०१८

प्रति,

........डा० सुरेन्द्र कुमार चिकि० अधि०........
........प्रा० स्वा० केन्द्र गौरिहार जिला छतरपुर (म०प्र०)

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

एतदद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक 04/06/18...२०१८ को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरूद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी

पृष्ठांकन क्रमांक f 19-17 /२०१८/१७/मेडी-१ भोपाल, दिनांक 18/5/२०१८

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ......छतरपुर (म०प्र०)...... की ओर प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक 04/06/18... से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

प्र.क्र. F 19-HH/२०१८/१७/मेडी-१

REGD.AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. F 19-HH/२०१८/१७/मेडी-१ भोपाल, दिनांक 18/5/२०१८

प्रति,

डॉ० चन्द्र प्रकाश जायसवाल चिकि० अधि०
प्रा० स्वा० केन्द्र खकनार जिला बुरहानपुर (म०प्र०)

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

एतदद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक 30/05/18 २०१८ को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरूद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी

पृष्ठांकन क्रमांक F 19-HH/२०१८/१७/मेडी-१ भोपाल दिनांक 18/5/२०१८

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बुरहानपुर (म०प्र०) की ओर प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक 30/05/18 से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी

प्र.क्र. f 19-54 /२०१८/ १७/ मेडी -१

REGD.AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. f 19-54/२०१८ / १७ / मेडी -१ भोपाल, दिनांक 18/5/२०१८

प्रति,

डॉ. (श्रीमती) पुष्पा धुर्वे स्त्री रोग विशेषज्ञ
जिला चिकित्सालय, धार (म०प्र०)

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

एतदद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक 30.05.18 ......२०१८ को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरूद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(आर.सी.सक्सैना)
विभागीय जांच अधिकारी

पृष्ठांकन क्रमांक f 19-54 /२०१८ / १७ / मेडी -१ भोपाल, दिनांक 18/5/२०१८

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला धार (म.प्र.) की ओर प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक 30.05.18... से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(आर.सी. सक्सैना)
विभागीय जांच अधिकारी

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

प्र.क्र. 1159-90 /२०१८/१७/मेडी-१

REGD.AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. 1159-90 /२०१८/१७/मेडी-१ भोपाल, दिनांक 18/5/...२०१८

प्रति,

........डॉ० नितिन मोसिक चिकि० अधि०........
........जिला चिकित्सालय खंडवा (म०प्र०)........

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

एतदद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक 30/05/18.....२०१८ को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरूद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी

पृष्ठांकन क्रमांक 1159-90 /२०१८/१७/मेडी-१ भोपाल, दिनांक 18/5/२०१८

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ....खंडवा....(....म०प्र०).की ओर प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक 30/05/18 से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क विभाग

प्र.क्र. f 19-34/२०१८/१७/मेडी-१

REGD.AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. f 19-34 /२०१८/१७/मेडी-१ भोपाल, दिनांक ..18/5/.२०१८

प्रति,

डॉ० राजेन्द्र सिंह चौहान जिला० अधि० (प्र० उपसंचालक)
संचालनालय स्वा० सेवायें, भोपाल

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

एतदद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक 30/05/18 ....२०१८ को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरूद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी

पृष्ठांकन क्रमांक f 19-34/२०१८/१७/मेडी-१ भोपाल, दिनांक 18/5/२०१८

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ....भोपाल.................की ओर प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक 30/05/18 से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी

प्र.क्र. F-19-90 /२०१८/१७/मेडी-१

REGD.AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. F-19-90 /२०१८/१७/मेडी-१ भोपाल, दिनांक 18/5/...२०१८

प्रति,

डॉ० नितिन मोनसिंह चिकि० अधि०
जिला चिकित्सालय बैतूल (म०प्र०)

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

एतदद्वारा आपको सुचित किया जाता है कि आपके विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक 30/05/18....२०१८ को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरूद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी

(आर. सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक F-19-90 /२०१८/१७/मेडी-१ भोपाल, दिनांक 18/5 /२०१८

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ....बैतूल....(....म.प्र.).की ओर प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक 30/05/18. से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी

(आर. सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

प्र.क्र. 19-88 /२०१८/१७/मेडी-१

REGD.AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. 19-88 /२०१८ /१७ /मेडी -१ भोपाल, दिनांक 18/5/....२०१८

प्रति,

डॉ. फरीद हुसैन, चिकि० अधि०
सिविल चिकित्सालय, होशंगाबाद (म०प्र०)

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

एतदद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक 30/05/18 ....२०१८ को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरूद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(आर.सी.सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी

पृष्ठांकन क्रमांक 19-88 /२०१८ /१७ /मेडी-१ भोपाल, दिनांक 18/5 /२०१८

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला होशंगाबाद (म०प्र०) की ओर प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक 30/05/18 से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी

प्र.क्र. फ 19-90 /२०१८/१७/मेडी-१

REGD.AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. फ 19-90 /२०१८/१७/मेडी-१ — भोपाल, दिनांक 18/5/...२०१८

प्रति,

........[illegible]........

........[illegible]........

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

एतद्द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक 30.05.18....२०१८ को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए ।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरूद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
(आर.सी. सक्सेना) विभागीय जांच अधिकारी लो.स्वा. एवं परि. क विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक फ 19-90 /२०१८/१७/मेडी-१ — भोपाल, दिनांक 18/5/२०१८

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ......[illegible]......(म.प्र.) की ओर प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक 30.05.18. से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए । आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे ।

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
(आर.सी. सक्सेना) विभागीय जांच अधिकारी लो.स्वा. एवं परि. क विभाग

REGD. AD.

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी

आई.ई.सी.ब्यूरो भवन , जे.पी. चिकित्सालय परिसर , भोपाल

क्रं :- एफ १९-३८/२०१८/१७/मेडी-१ भोपाल, दिनांक 11/०५/२०१८

प्रति,

डॉ नीतूबाला आर्य

चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय बडवानी, म.प्र

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत् ।

नोटिस

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरूध्द संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/ बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृप्या नियत **दिनांक ३१/०५/२०१८** को समय प्रात: ११ बजे मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए ।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरूध्द प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।

(जी.के.नेगी)

(गिरीश कुमार नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी

लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

पृष्ठाकंन क्रमांक:- एफ १९-३७/२०१८/१७/मेडी-१ भोपाल, दिनांक 11/०५ /२०१८

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बडवानी म.प्र. की ओर प्रेषित कर लेख है की आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए । आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचो के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक **३१/०५/२०१८** से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे ।

(जी.के.नेगी)

(गिरीश कुमार नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी

लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

REGD. AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी.ब्यूरो भवन , जे.पी. चिकित्सालय परिसर , भोपाल

क्रं :- एफ १९-३७/२०१८/१७/मेडी-१ भोपाल, दिनांक 11/०५/२०१८

प्रति,

डॉ दिपशिखा मंडलोई
चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय खण्डवा, म.प्र

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत् ।

नोटिस

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरूध्द संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/ बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृप्या नियत **दिनांक ३१/०५/२०१८** को समय प्रात: ११ बजे मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए ।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरूध्द प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।

(जी.के.नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी
(गिरीश कुमार नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

पृष्ठाकंन क्रमांक:- एफ १९-३७/२०१८/१७/मेडी-१ भोपाल / दिनांक 11/०५ /२०१८

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला खण्डवा म.प्र. की ओर प्रेषित कर लेख है की आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए । आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचो के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक **३१/०५/२०१८** से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे ।

(जी.के.नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी
(गिरीश कुमार नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

REGD. AD.

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी

आई.ई.सी.ब्यूरो भवन , जे.पी. चिकित्सालय परिसर , भोपाल

क्रं :- एफ १९-०६/२०१८/१७/मेडी-१ भोपाल, दिनांक ११/०५/२०१८

प्रति,

डॉ जितेन्द्र सिंह सूर्यवंशी

चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, शाजापुर म.प्र

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत् ।

नोटिस

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरूध्द संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/ बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृप्या नियत दिनांक **०७/०६/२०१८** को समय प्रात: ११ बजे मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए ।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरूध्द प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।

5/18

(जी.के.नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी

(गिरीश कुमार नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी

लो.स्वा. एवं परि.क. विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक:- एफ १९-०६/२०१८/१७/मेडी-१ भोपाल, दिनांक ११/०५/२०१८

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला शाजापुर म.प्र. की ओर प्रेषित कर लेख है की आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए । आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचो के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक **०७/०६/२०१८** से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे ।

9/5/18

(जी.के.नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी

(गिरीश कुमार नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी

लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

REGD. AD.

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी

आई.ई.सी.ब्यूरो भवन , जे.पी. चिकित्सालय परिसर , भोपाल

क्रं :- 1993/~~३२६७~~/२०१८/१७/मेडी-१ भोपाल, दिनांक 11/०५/२०१८

प्रति,

डॉ नीता बसेरीया

चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय मुरैना, म.प्र

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत् ।

नोटिस

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरूध्द संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/ बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृप्या नियत दिनांक **०७/०६/२०१८** को समय प्रात: ११ बजे मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए ।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरूध्द प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।

(हस्ताक्षर) 11/5/18

(जी.के.नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी

(गिरीश कुमार नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी

लो.स्वा. एवं परि.क.विभाग 11/०५ /२०१८

पृष्ठांकन क्रमांक:- एफ 1994/~~१९४९~~/२०१८/१७/मेडी-१

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मुरैना म.प्र. की ओर प्रेषित कर लेख है की आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए । आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचो के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक **०७/०६/२०१८** से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे ।

(हस्ताक्षर) 11/5/18

(जी.के.नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी

(गिरीश कुमार नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी

लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

REGD. AD.

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी

आई.ई.सी.ब्यूरो भवन , जे.पी. चिकित्सालय परिसर , भोपाल

क्रं :- एफ. १९९३ /७१२/२०१८/१७/मेडी-१ भोपाल, दिनांक ११/०५/२०१८

प्रति,

डॉ प्रवीण सेमिल

चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, सीहोर, म.प्र

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत् ।

नोटिस

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरूध्द संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/ बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृप्या नियत **दिनांक ०७/०६/२०१८** को समय प्रात: ११ बजे मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए ।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरूध्द प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।

(जी.के.नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी

(गिरीश कुमार नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा.

पृष्ठांकन क्रमांक:- एफ. १९९३ /७१२/२०१८/१७/मेडी-१ भोपाल, दिनांक ११/०५ /२०१८

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सीहोर म.प्र. की ओर प्रेषित कर लेख है की आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए । आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचो के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक **०७/०६/२०१८** से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे ।

(जी.के.नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी

(गिरीश कुमार नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं प.क. विभाग

REGD. AD.

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी

आई.ई.सी.ब्यूरो भवन , जे.पी. चिकित्सालय परिसर , भोपाल

क्रं :-.........1952/३२५३/२०१८/१७/मेडी-१

भोपाल, दिनांक 11/०५/२०१८

प्रति,

डॉ रश्मि उपाध्याय

चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय भिण्ड, म.प्र

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत् ।

नोटिस

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरूध्द संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/ बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृप्या नियत **दिनांक ३१/०५/२०१८** को समय प्रातः ११ बजे मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए ।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरूध्द प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।

11/5/18

(जी.के.नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी

(गिरीश कुमार नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी

लो.स्वा. एवं भोपाल, दिनांक 11/०५/२०१८

पृष्ठांकन क्रमांक:-.......1952/३२५३/२०१८/१७/मेडी-१

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भिण्ड म.प्र. की ओर प्रेषित कर लेख है की आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए । आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचो के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक **३१/०५/२०१८** से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे ।

11/5/18

(जी.के.नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी

(गिरीश कुमार नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी

लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

REGD. AD.

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी

आई.ई.सी.ब्यूरो भवन , जे.पी. चिकित्सालय परिसर , भोपाल

क्रं :- ....../६३६/२३३/२०१८/१७/मेडी-१

भोपाल, दिनांक ११/०५/२०१८

प्रति,

डॉ श्वेता वास्कले

चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय बडवानी, म.प्र

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत् ।

नोटिस

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरूध्द संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/ बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृप्या नियत दिनांक **१४/०६/२०१८**को समय प्रात: ११ बजे मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए ।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरूध्द प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।

(जी.के.नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी

(गिरीश कुमार नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी

पृष्ठांकन क्रमांक....../६३६/२३३/२०१८/१७/मेडी-१

भोपाल दिनांक ११/०५ /२०१८

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बडवानी म.प्र. की ओर प्रेषित कर लेख है की आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए । आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचो के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक **१४/०६/२०१८** से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे ।

(जी.के.नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी

(गिरीश कुमार नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी

लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

REGD. AD.

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी

आई.ई.सी.ब्यूरो भवन , जे.पी. चिकित्सालय परिसर , भोपाल

क्र :- एफ १९-४०/२०१८/१७/मेडी-१ भोपाल, दिनांक ././०५/२०१८

प्रति,

डॉ मोहम्मद फरीद खान

चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय सतना, म.प्र

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत् ।

नोटिस

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरूध्द संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/ बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृप्या नियत दिनांक **३१/०५/२०१८** को समय प्रात: ११ बजे मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए ।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरूध्द प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।

(जी.के.नेगी)

(गिरीश कुमार नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

पृष्ठाकंन क्रमांक:- एफ १९-४०/२०१८/१७/मेडी-१ भोपाल / दिनांक ././०५ /२०१८

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्स/ एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सतना म.प्र. की ओर प्रेषित कर लेख है की आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए । आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचो के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक **३१/०५/२०१८** से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे ।

(जी.के.नेगी)

(गिरीश कुमार नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

REGD. AD.

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी

आई.ई.सी.ब्यूरो भवन , जे.पी. चिकित्सालय परिसर , भोपाल

क्रं :- एफ १९-४२/२०१८/१७/मेडी-१

भोपाल, दिनांक ।।/०५/२०१८

प्रति,

डॉ राजकुमार पटेल

चिकित्सा अधिकारी, प्रा.स्वा.केन्द्र निगवानी, जिला अनूपपुर, म.प्र

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत् ।

नोटिस

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरुध्द संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/ बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृप्या नियत **दिनांक ३१/०५/२०१८** को समय प्रातः ११ बजे मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए ।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरुध्द प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।

9/5/18

(जी.के.नेगी)

(गिरीश कुमार ...)

विभागीय जांच अधिकारी

लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग भोपाल / दिनांक ।।/०५ /२०१८

पृष्ठांकन क्रमांक:- एफ १९-४२/२०१८/१७/मेडी-१

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला अनूपपुर म.प्र. की ओर प्रेषित कर लेख है की आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए । आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचो के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक **३१/०५/२०१८** से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे ।

9/5/18

(जी.के.नेगी)

(गिरीश कुमार ...)

विभागीय जांच अधिकारी

लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

REGD. AD.

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी

आई.ई.सी.ब्यूरो भवन , जे.पी. चिकित्सालय परिसर , भोपाल

क्रं :- एफ १९-४१/१७/मेडी-१/२०१८ भोपाल, दिनांक/ /०५/२०१८

प्रति,

डॉ संदीप भल्ला

चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय सीधी, म.प्र

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत् ।

संदर्भ : विभाग का नोटिस क्रमांक ८६८/वि.जा.अ./जी.के.एन./२०१८ दिनांक २८/०४/२०१८

नोटिस

उपरोक्त संदर्भित नोटिस का कृपया अवलोकन करे । अपरिहार्य कारणो से दिनांक ०४/०५/२०१८ को प्रकरण मे सुनवाई नही की जा सकी ।

प्रकरण मे पुन: एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरूध्द संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृप्या नियत दिनांक **२४/०५/२०१८** को समय प्रात: ११ बजे मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए ।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरूध्द प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।

(जी.के.नेगी)

(गिरीश कुमार नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी

लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

भोपाल / दिनांक/ /०५ /२०१८

पृष्ठांकन क्रमांक:- एफ १९-४१/१७/मेडी-१/२०१८

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्स(एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सीधी म.प्र. की ओर प्रेषित कर लेख है की आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए । आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचो के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक **२४/०५/२०१८** से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे ।

(जी.के.नेगी)

(गिरीश कुमार नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी

लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

REGD. AD.

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी

आई.ई.सी.ब्यूरो भवन , जे.पी. चिकित्सालय परिसर , भोपाल

भोपाल, दिनांक11/०५/२०१८

क्रं :- एफ १९-०५/२०१८/१७/मेडी-१

प्रति,

डॉ मीनाक्षी जाटवा

चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय शाजापुर, म.प्र

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत् ।

संदर्भ : विभाग का नोटिस क्रमांक ८८०/वि.जा.अ./जी.के.एन./२०१८ दिनांक २०/०४/२०१८

नोटिस

उपरोक्त संदर्भित नोटिस का कृपया अवलोकन करे । अपरिहार्य कारणो से दिनांक ०४/०५/२०१८ को प्रकरण मे सुनवाई नही की जा सकी ।

प्रकरण मे पुन: एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरूध्द संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृप्या नियत दिनांक **२४/०५/२०१८** को समय प्रात: ११ बजे मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए ।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरूध्द प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।

(जी.के.नेगी)

(गिरीश कुमार नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी

लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

पृष्ठाकंन क्रमांक:- एफ १९-०५/२०१८/१७/मेडी-१ भोपाल, दिनांक11/०५/२०१८

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला शाजापुर म.प्र. की ओर प्रेषित कर लेख है की आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए । आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचो के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक **२४/०५/२०१८** से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे ।

(जी.के.नेगी)

(गिरीश कुमार नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी

लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

REGD. AD.

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी

आई.ई.सी.ब्यूरो भवन , जे.पी. चिकित्सालय परिसर , भोपाल

क्रं :- एफ १९-४९/२०१८/१७/मेडी-१ भोपाल, दिनांक/1./०५/२०१८

प्रति,

डॉ मानवीर सिंह गौर

चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, उज्जैन, म.प्र

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत् ।

संदर्भ : विभाग का नोटिस क्रमांक ८७८/वि.जा.अ./जी.के.एन./२०१८ दिनांक २०/०४/२०१८

नोटिस

उपरोक्त संदर्भित नोटिस का कृपया अवलोकन करे । अपरिहार्य कारणो से दिनांक ०४/०५/२०१८ को प्रकरण मे सुनवाई नही की जा सकी ।

प्रकरण मे पुन: एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरूध्द संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/ बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृप्या नियत **दिनांक २४/०५/२०१८** को समय प्रात: ११ बजे मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए ।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरूध्द प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।

(जी.के.नेमी)

(गिरीश कुमार नेमी)

विभागीय जांच अधिकारी

लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

भोपाल / दिनांक /1./०५ /२०१८

पृष्ठांकन क्रमांक:- एफ १९-४९/२०१८/१७/मेडी-१

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला उज्जैन म.प्र. की ओर प्रेषित कर लेख है की आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए । आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचो के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक **२४/०५/२०१८** से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे ।

(जी.के.नेमी)

(गिरीश कुमार नेमी)

विभागीय जांच अधिकारी

लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

REGD. AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी.ब्यूरो भवन , जे.पी. चिकित्सालय परिसर , भोपाल

क्रं :- एफ १९-५३/२०१८/१७/मेडी-१ भोपाल, दिनांक ।/०५/२०१८

प्रति,

डॉ उपमा गुप्ता
चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, देवास, म.प्र

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत् ।

संदर्भ : विभाग का नोटिस क्रमांक ८६६/वि.जा.अ./जी.के.एन./२०१८ दिनांक २०/०४/२०१८

नोटिस

उपरोक्त संदर्भित नोटिस का कृपया अवलोकन करे । अपरिहार्य कारणो से दिनांक ०४/०५/२०१८ को प्रकरण मे सुनवाई नही की जा सकी ।

प्रकरण मे पुन: एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरूध्द संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/ बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृप्या नियत **दिनांक २४/०५/२०१८** को समय प्रात: ११ बजे मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए ।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरूध्द प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।

(जी.के.नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी
(गिरीश कुमार नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

पृष्ठाकंन क्रमांक:- एफ १९-५३/२०१८/१७/मेडी-१ भोपाल, दिनांक ।/०५ /२०१८

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्स एवं स्वास्थ्या अधिकारी जिला देवास म.प्र. की ओर प्रेषित कर लेख है की आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए । आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचो के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक **२४/०५/२०१८** से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे ।

(जी.के.नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी
(गिरीश कुमार नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

REGD. AD.

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी

आई.ई.सी.ब्यूरो भवन , जे.पी. चिकित्सालय परिसर , भोपाल

क्रं :- एफ १९-२६/२०१८/१७/मेडी-१ भोपाल, दिनांक 11./०५/२०१८

प्रति,

डॉ संतोष कुमार तोमर

चिकित्सा अधिकारी, प्रा.स्वा.केन्द्र गोरइया, जिला सतना, म.प्र

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत् ।

संदर्भ : विभाग का नोटिस क्रमांक ८७६/वि.जा.अ./जी.के.एन./२०१८ दिनांक २०/०४/२०१८

नोटिस

उपरोक्त संदर्भित नोटिस का कृपया अवलोकन करे । अपरिहार्य कारणो से दिनांक ०४/०५/२०१८ को प्रकरण मे सुनवाई नही की जा सकी ।

प्रकरण मे पुन: एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरूध्द संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/ बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृप्या नियत **दिनांक २४/०५/२०१८** को समय प्रात: ११ बजे मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए ।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरूध्द प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।

(जी.के.नेगी)

(गिरीश कुमार)

विभागीय जांच अधिकारी

लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक:- एफ १९-२६/२०१८/१७/मेडी-१ भोपाल / दिनांक ।।/०५ /२०१८

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला शाजापुर म.प्र. की ओर प्रेषित कर लेख है की आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए । आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचो के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक **२४/०५/२०१८** से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे ।

(जी.के.नेगी)

(गिरीश कुमार)

विभागीय जांच अधिकारी

लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

REGD. AD.

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी

आई.ई.सी.ब्यूरो भवन , जे.पी. चिकित्सालय परिसर , भोपाल

भोपाल, दिनांक 11/०५/२०१८

क्रं :- एफ १९-४५/२०१८/१७/मेडी-१

प्रति,

डॉ सोमनाथ चौरसिया

चिकित्सा अधिकारी, प्रा.स्वा.केन्द्र पगारखुर्द, जिला सतना, म.प्र

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत् ।

नोटिस

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरूध्द संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/ बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृप्या नियत दिनांक **१४/०६/२०१८**को समय प्रात: ११ बजे मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए ।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरूध्द प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।

(जी.के.नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी

(गिरीश कुमार नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी

लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

भोपाल / दिनांक 11/०५ /२०१८

पृष्ठांकन क्रमांक:- एफ १९-४५/२०१८/१७/मेडी-१

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सतना म.प्र. की ओर प्रेषित कर लेख है की आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए । आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचो के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक **१४/०६/२०१८** से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे ।

(जी.के.नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी

(गिरीश कुमार नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी

लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

REGD. AD.

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी

आई.ई.सी.ब्यूरो भवन , जे.पी. चिकित्सालय परिसर , भोपाल

भोपाल, दिनांक ११.०५/२०१८

क्रं :- एफ १९-४२/२०१८/१७/मेडी-१

प्रति,

डॉ मोहम्मद खालीद सिददीकी

चिकित्सा अधिकारी, प्रा.स्वा.केन्द्र सरवानिया महाराज, जिला नीमच म.प्र

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत् ।

नोटिस

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरूध्द संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/ बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृप्या नियत **दिनांक १४/०६/२०१८**को समय प्रात: ११ बजे मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए ।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरूध्द प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।

(जी.के.नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी

(गिरीश कुमार नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी,

लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

भोपाल / दिनांक ११.०५/२०१८

पृष्ठांकन क्रमांक:- एफ १९-४२/२०१८/१७/मेडी-१

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला नीमच म.प्र. की ओर प्रेषित कर लेख है की आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए । आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचो के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक **१४/०६/२०१८** से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे ।

(जी.के.नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी

(गिरीश कुमार नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी

लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

REGD. AD.

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी

आई.ई.सी.ब्यूरो भवन , जे.पी. चिकित्सालय परिसर , भोपाल

क्रं :- एफ १९-३९/२०१८/१७/मेडी-१

भोपाल, दिनांक ११/०५/२०१८

प्रति,

डॉ नेहा राजौरिया

चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय बडवानी, म.प्र

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत् ।

नोटिस

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरुध्द संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/ बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृप्या नियत **दिनांक १४/०६/२०१८**को समय प्रात: ११ बजे मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए ।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरूध्द प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।

(जी.के.नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी

लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक:- एफ १९-३९/२०१८/१७/मेडी-१

भोपाल / दिनांक ११/०५ /२०१८

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बडवानी म.प्र. की ओर प्रेषित कर लेख है की आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए । आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचो के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक **१४/०६/२०१८** से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे ।

(जी.के.नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी

लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

REGD. AD.

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी

आई.ई.सी.ब्यूरो भवन , जे.पी. चिकित्सालय परिसर , भोपाल

क्रं :- एफ १९-२५/२०१८/१७/मेडी-१ भोपाल, दिनांक 11/०५/२०१८

प्रति,

डॉ लक्ष्मी कुमार

चिकित्सा अधिकारी, सा.स्वा.केन्द्र राधौगड, जिला गुना, म.प्र

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत् ।

नोटिस

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरूध्द संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/ बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृप्या नियत दिनांक **०७/०६/२०१८** को समय प्रात: ११ बजे मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए ।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरूध्द प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।

9/5/18

(जी.के.नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी

(गिरीश कुमार नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी

लो.स्वा. एवं परि.क.विभाग

पृष्ठाकंन क्रमांक:- एफ १९-२५/२०१८/१७/मेडी-१ भोपाल दिनांक 11/०५/२०१८

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला गुना म.प्र. की ओर प्रेषित कर लेख है की आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए । आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचो के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक **०७/०६/२०१८** से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे ।

9/5/18

(जी.के.नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी

(गिरीश कुमार नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी

लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

REGD. AD.

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी

आई.ई.सी.ब्यूरो भवन , जे.पी. चिकित्सालय परिसर , भोपाल

क्रं :- एफ १९-२७/२०१८/१७/मेडी-१ भोपाल, दिनांक 11/०५/२०१८

प्रति,

डॉ अंशु दुबे

चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय मुरैना, म.प्र

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत् ।

नोटिस

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरुध्द संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/ बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृप्या नियत दिनांक **०७/०६/२०१८** को समय प्रात: ११ बजे मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए ।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरुध्द प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।

(जी.के.नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी

(गिरीश कुमार नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी

लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

पृष्ठाकंन क्रमांक:- एफ १९-४२/२०१८/१७/मेडी-१ भोपाल दिनांक 11/०५/२०१८

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मुरैना म.प्र. की ओर प्रेषित कर लेख है की आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए । आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचो के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक **०७/०६/२०१८** से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे ।

(जी.के.नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी

(गिरीश कुमार नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी

लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

प्र.क्र. F 19-10/२०१८/१७/मेडी-१

REGD.AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. F 19-10 /२०१८ /१७ /मेडी -१ भोपाल, दिनांक 9/5/२०१८

प्रति,

डॉ० कौशल किशोर शर्मा चिकित्सा अधिकारी
प्रा० स्वा० केन्द्र उतारी जिला टीकमगढ़ (म०प्र०)

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

एतदद्वारा आपको सुचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक 21/05/18 २०१८ को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरुद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(आर.सी.सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि.

पृष्ठांकन क्रमांक F 19-10 /२०१८ /१७ /मेडी -१ भोपाल, दिनांक 9/5/२०१८

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला टीकमगढ़ (म०प्र०) की ओर प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक 21/05/18 से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी

(आर. सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

प्र.क्र. 19-76 /२०१८/१७/मेडी-१

REGD.AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. 19-76 /२०१८/१७/मेडी-१ भोपाल, दिनांक 9/5/२०१८

प्रति,

डॉ. आकांक्षा रंगारी, चिकि. अधि.
जिला चिकि. सीहोर (म.प्र.)

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

एतदद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक 22.05.18 २०१८ को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरूद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी

(आर. सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक 19-76 /२०१८/१७/मेडी-१ भोपाल, दिनांक 9/5/२०१८

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सीहोर (म.प्र.) की ओर प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक 22.05.18 से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी

(आर. सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

प्र.क्र. 1975/२०१८/१७/मेडी-१

REGD.AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. 1975 /२०१८/१७/मेडी-१ भोपाल, दिनांक ..9/5/..२०१८

प्रति,

......[illegible]......

......[illegible] सीहोर (म०प्र०)......

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

एतदद्वारा आपको सुचित किया जाता है कि आपके विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक 22/05/18..२०१८ को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरूद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(आर.सी.सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक 1975/२०१८/१७/मेडी-१ भोपाल, दिनांक 9/5/२०१८

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ....सीहोर (म०प्र०)....की ओर प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक ...22/05/18 से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

REGD.AD.

प्र.क्र. 19-4 /२०१८/१७/मेडी-१

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. F 19-4 /२०१८/१७/मेडी-१ भोपाल, दिनांक 9/5/.२०१८

प्रति,

[illegible]

[illegible] (म.प्र.)

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

एतदद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक....21/05/18....२०१८ को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरूद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(आर.सी.सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी

(आर. सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक F 19-4 /२०१८/१७/मेडी-१ भोपाल, दिनांक 9/5/२०१८

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ....राजगढ़....(म.प्र.) की ओर प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक 21/05/18... से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी

(आर. सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

प्र.क्र. एफ 19-29/२०१८/१७/मेडी-१

REGD.AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. एफ 19-29 /२०१८ /१७ /मेडी -१ भोपाल, दिनांक ...9/5....२०१८

प्रति,

डॉ० सचिन जैन चिकित्सा अधिकारी
जिला चिकित्सालय दमोह म०प्र०

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

एतदद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक..21.05.18...२०१८ को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरूद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी

पृष्ठांकन क्रमांक एफ 19-29/२०१८ /१७ /मेडी -१ भोपाल, दिनांक 9/5/२०१८

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ....दमोह (म०प्र०)....की ओर प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक..21.5.18..... से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी

प्र.क्र. f 19-30/२०१८/१७/मेडी-१

REGD.AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. f 19-30 /२०१८ /१७ /मेडी -१ भोपाल, दिनांक ..9/5/..२०१८

प्रति,

.......डॉ० विनोद कुमार [illegible] चिकित्सा अधिकारी
.......जिला चिकित्सालय दमोह (म०प्र०)

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

एतदद्वारा आपको सुचित किया जाता है कि आपके विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक..21/05/18..२०१८ को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरूद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(आर.सी.सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी

(आर. सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक f 19-30/२०१८/१७/मेडी-१ भोपाल, दिनांक 9/5/२०१८

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ......दमोह (म०प्र०)......की ओर प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक .21/05/18. से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी

(आर. सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

प्र.क्र. f 19-18 /२०१८/१७/मेडी-१

REGD.AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. f 19-18 /२०१८/१७/मेडी-१ भोपाल, दिनांक 9/5/२०१८

प्रति,

डॉ० सौरभ जयन्त, चिकि० अधि०
जिला चिकित्सालय, राजगढ़ (म०प्र०)

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

एतदद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक 22/05/18 २०१८ को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरूद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(आर.सी.सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी

(आर. सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक f 19-18 /२०१८/१७/मेडी-१ भोपाल, दिनांक 9/5/२०१८

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला राजगढ़ (म०प्र०) की ओर प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक 22/05/18 से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी

(आर. सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

प्र.क्र. 19-19 /२०१८/१७/मेडी-१

REGD.AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. /२०१८/१७/मेडी-१ भोपाल, दिनांक 9/5/२०१८

प्रति,

डॉ. प्रियंका चौहान चिकित्सा अधिकारी
जिला चिकित्सालय राजगढ़ (म.प्र.)

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

एतदद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक 21.05.18 २०१८ को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरुद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(आर.सी.सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक /२०१८/१७/मेडी-१ भोपाल, दिनांक 9/5/२०१८

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला राजगढ़ (म.प्र.) की ओर प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक 21.05.18 से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

प्र.क्र. 1977 /२०१८/१७/मेडी-१

REGD.AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. /२०१८ /१७ /मेडी -१ भोपाल, दिनांक ..9/5/..२०१८

प्रति,

डॉ० असार रुद्दीन अब्बासी, चिकित्सा अधिकारी
जिला चिकित्सालय रायसेन (म०प्र०)

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

एतदद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक 21/5/18........२०१८ को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरूद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।

(आर.सी.सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी

(आर. सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक 1977 /२०१८ /१७ /मेडी -१ भोपाल, दिनांक 9/5/२०१८

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रायसेन (म०प्र०)........की ओर प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक 21/5/18..... से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे ।

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी

(आर. सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

प्र.क्र. एफ 19-79/२०१८/१७/मेडी-१

REGD.AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. एफ 19-79 /२०१८ /१७ /मेडी -१ भोपाल, दिनांक 9/5/२०१८

प्रति,

डा० अखिलेश सिंह, दन्त रोग चिकित्सक,
जिला चिकित्सालय रायसेन (म०प्र०)

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

एतदद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक 21/05/18.....२०१८ को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरूद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(आर.सी.सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक एफ 19-79/२०१८ /१७ /मेडी -१ भोपाल दिनांक 9/5/२०१८

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रायसेन (म०प्र०) की ओर प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक 21/5/18..... से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

प्र.क्र. पि 19-82/२०१८/१७/मेडी-१

REGD.AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. पि 19-82/२०१८/१७/मेडी-१ भोपाल, दिनांक 9/5/२०१८

प्रति,

डा. शिवराज राघव, चिकि. अधि.
जिला चिकित्सालय, रायसेन (म.प्र.)

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

एतदद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक 29/05/18 २०१८ को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरूद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक पि 19-82/२०१८/१७/मेडी-१ भोपाल, दिनांक /२०१८

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रायसेन (म.प्र.) की ओर प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक 29/05/18 से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

प्र.क्र. f 19-80/२०१८/१७/मेडी-१

REGD.AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. f 19-80 /२०१८/१७/मेडी-१ भोपाल, दिनांक 9/5/२०१८

प्रति,

डा० [illegible] शर्मा चिकि० अधि०
सिविल चिकित्सालय रायसेन (म०प्र०)

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

एतदद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक 22/05/18 २०१८ को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरूद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक f 19-80 /२०१८/१७/मेडी-१ भोपाल, दिनांक 9/5/२०१८

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रायसेन (म०प्र०) की ओर प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक 22/05/18 से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

प्र.क्र. 17-81 /२०१८/१७/मेडी-१

REGD.AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. 17-81 /२०१८ /१७ /मेडी -१ भोपाल, दिनांक ..9./.5./.२०१८

प्रति,

......डा० शिल्पी जैन चिकित्सा अधिकारी......

......जिला चिकित्सालय रायसेन (म०प्र०)

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

पुतदद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक ..22.\.05.\.18.....२०१८ को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरूद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी

भोपाल, दिनांक 9/5/२०१८

पृष्ठांकन क्रमांक 17-81 /२०१८ /१७ /मेडी -१

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ....रायसेन (म.प्र.).......की ओर प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक ..22.\.05.\.18.. से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

प्र.क्र. 19-78 /२०१८/१७/मेडी-१

REGD.AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. 19-78 /२०१८/१७/मेडी-१ भोपाल, दिनांक ..9../..5../..२०१८

प्रति,

....

....

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

एतदद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक ..22/05/18..२०१८ को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरूद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(आर.सी.सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि.क. विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक 19-78 /२०१८/१७/मेडी-१ भोपाल, दिनांक 9/5/२०१८

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ..रायसेन (म.प्र.).. की ओर प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक ..22/05/18.. से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

F 19-33
प्र.क्र. /२०१८/१७/मेडी-१

REGD.AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र.F-19-33 /२०१८/१७/मेडी-१ भोपाल, दिनांक 04/05..२०१८

प्रति,

डॉ रजनीश कामरा
चिकित्सा अधिकारी
जयप्रकाश चिकित्सालय
भोपाल (म०प्र०)

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

पुतदद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक...17.5.5....२०१८ को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरूद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(जी के नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी
(गिरीश कुमार नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक F19-33/२०१८/१७/मेडी-१ भोपाल, दिनांक 04/05/२०१८

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ......भोपाल.........की ओर प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक 17.5.18 से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(जी.के. नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी
(गिरीश कुमार नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

प्र.क्र. 254 //२०१८/१७/मेडी-१

REGD.AD.

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी

आई.ई.सी ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. 19-84 /२०१८ /१७ /मेडी -१ भोपाल, दिनांक 04/05/.२०१८

प्रति,

डॉ. पंकज शर्मा
चिकित्सा अधिकारी
प्रा० स्वा० केन्द्र, मोहिन्द्रा
जिला पन्ना (म० प्र०)

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

एतदद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक 17.05..२०१८ को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरूद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(जी के नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी
(गिरीश कुमार नेगी)
जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग
भोपाल

पृष्ठांकन क्रमांक 19-84/२०१८ /१७ /मेडी -१ भोपाल, दिनांक 04/05/२०१८

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला पन्ना की ओर प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक 17/5/18 से पूर्व उपलब्ध करना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(जी.के. नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी
(गिरीश कुमार नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

प्र.क्र. 1985/२०१८/१७/मेडी-१

REGD.AD.

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी

आई.ई.सी ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. 1985/२०१८/१७/मेडी-१ भोपाल, दिनांक 04/05/२०१८

प्रति,

डा० दर्शिका जैन

चिकित्सा अधिकारी

सामु० स्वा० केन्द्र केवलारी,

जिला सिवनी (म०प्र०)

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

एतदद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक 17.05.२०१८ को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए ।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरूद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।

(जी के नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी

पृष्ठांकन क्रमांक 1985/२०१८/१७/मेडी-१ भोपाल, दिनांक 04/05/२०१८

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सिवनी की ओर प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक 17/5/18 से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए । आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे ।

(जी.के. नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी

(गिरीश कुमार नेगी)

विभागीय जांच अधिकारी

लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

प्र.क्र.   /२०१८/१७/मेडी-१

REGD.AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. 19-86 /२०१८ /१७ /मेडी -१   भोपाल, दिनांक 04/05/२०१८

प्रति,

डॉ. ज्योति बाला पाण्डे,
चिकित्सा अधिकारी
प्रा.स्वा. केन्द्र, लखनादौन
जिला सिवनी (म.प्र.)

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

एतदद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक 17.5...२०१८ को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरूद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

O/D

(जी के नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी
भोपाल

पृष्ठांकन क्रमांक 19-86 /२०१८ /१७ /मेडी -१   भोपाल, दिनांक 04/05/२०१८

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सिवनी की ओर प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक 17/5/18 से पूर्व उपलब्ध करवाना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

O/C

(जी.के. नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

प्र.क्र. 19 -22/२०१८/१७/मेडी-१

REGD.AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. 19-22 /२०१८ /१७ /मेडी -१ भोपाल, दिनांक ..24/5/.२०१८

प्रति,

डॉ० दीपक पिपरे, चिकित्सा अधिकारी,
जिला चिकि० (सा०कु०) राजगढ़ (म०प्र०)

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

एतदद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक.16/05/18......२०१८ को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरूद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।

(आर.सी.सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी

(आर. सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक 19 -22/२०१८ /१७ /मेडी -१ भोपाल, दिनांक 24/5/२०१८

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला राजगढ़...(म.प्र.).....की ओर प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक .16/05/18.... से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चस्पा करें तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी

(आर. सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

f 19-13

प्र.क्र. /२०१८/१७/मेडी-१

REGD.AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. f 19 -13 /२०१८ /१७ /मेडी -१ भोपाल, दिनांक .04/5..२०१८

प्रति,

डॉ० भूपेश महावर, चिकित्सा अधिकारी
शा० चिकि० केन्द्र, (महू) जिला इन्दौर

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

एतद्द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक 16/05/18.......२०१८ को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरूद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(आर.सी.सक्सेना) (आर. सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
जांच अधिकारी
लो. स्वा. एवं प. क. विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक f 19-13 /२०१८ /१७ /मेडी -१ भोपाल, दिनांक 04/5 /२०१८

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ....इन्दौर (म० प्र०)....की ओर प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक ..16/05/18.. से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
(आर. सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं प. क. विभाग

प्र.क्र.f 19-12/२०१८/१७/मेडी-१

REGD.AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. f-19-12/२०१८/१७/मेडी-१ भोपाल, दिनांक 04/05/..२०१८

प्रति,

डॉ० सुरेश मालीय चिकित्सा अधिकारी
प्रा० स्वा० केन्द्र सांवेर जिला इन्दौर (म०प्र०)

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

एतदद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक 16/05/18.....२०१८ को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरूद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(आर.सी.सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी

(आर. सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक f 19-12/२०१८/१७/मेडी-१ भोपाल, दिनांक 04/05/२०१८

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला इन्दौर (म०प्र०) की ओर प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक 16/05/18... से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी

(आर. सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

प्र.क्र.   /२०१८/१७/मेडी-१

REGD.AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. F-19-6 /२०१८/१७/मेडी-१   भोपाल, दिनांक 04/05/२०१८

प्रति,

डॉ. स्मिता सिंह
चिकित्सा अधिकारी
जिला चिकित्सालय
शाजापुर (म०प्र०)

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

एतदद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक...17.मई.....२०१८ को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरूद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

o/c
(जी के नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी

पृष्ठांकन क्रमांक F19-6 /२०१८/१७/मेडी-१   भोपाल, दिनांक 04/05/२०१८

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ......शाजापुर......की ओर प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक 17/5/18 से पूर्व उपलब्ध करना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

o/c
(जी.के. नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी
(जी. के. नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

प्र.क्र. 19-75 /२०१८/१७/मेडी-१

REGD.AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. 19-75 /२०१८/१७/मेडी-१ भोपाल, दिनांक 04/05/२०१८

प्रति,

डॉ. ग्रामलाल सोनी चिकि० अधि०
सिविल चिकित्सालय राजगढ़ (म०प्र०)

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

एतदद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक 16/05/18.....२०१८ को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरूद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(आर.सी.सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी सक्सेना)

पृष्ठांकन क्रमांक 19-75/२०१८/१७/मेडी-१ भोपाल, दिनांक 04/5/२०१८
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला राजगढ़ (म०प्र०) की ओर प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक 16/05/18.... से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी

(आर. सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

प्र.क्र.09 / II / विजांअ / RCS / 18

REGD.AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. 860 /वि.जां.अ /२०१८/RCS   भोपाल, दिनांक ..21/4..२०१८

प्रति,
डॉ. [handwritten] चिकित्सा अधिकारी,
[handwritten] अस्पताल, [handwritten]
जिला मन्दसौर (म.प्र.)

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

एतदद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक...07/05/18...२०१८ को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए ।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरुद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।

(आर.सी.सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी

पृष्ठांकन क्रमांक 861 /वि जां अ. /२०१८/RCS   भोपाल, दिनांक 20/4 /२०१८

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ..मन्दसौर..(म.प्र.)..की ओर प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक ..07/05/18.. से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए । आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे ।

(आर.सी.सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी

प्र.क्र. 21 /II/विजांअ/जी.केपुन/१८

REGD.AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. 866 /विजांअ/जी.के.पुन/२०१८ भोपाल, दिनांक ..20.04.२०१८

प्रति,

डॉ. उपमा शुक्ला चिकित्सा अधिकारी
जिला चिकित्सालय देवास (म०प्र०)

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बावत ।

नि. 19-04-18

नोटिस

एतदद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक ..04.05.18..२०१८ को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरूद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

19/04/18
(जी.के. नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी
(गिरीश कुमार नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक 867 /विजांअ/जीके.पुन/२०१८ भोपाल, दिनांक 20/04/२०१८

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ...देवास (म.प्र.)...की ओर प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक ..04.05.18. से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

19/04/18
(जी. के. नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी
(गिरीश कुमार नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

प्र.क्र. 03/म/Rcs/विजांश./18.

REGD.AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. 896 /वि.जां.अ /२०१८/Rcs भोपाल, दिनांक ..24/4..२०१८

प्रति,

डॉ. (श्रीमती) रेनू चतुर्वेदी, चिकि.(म) अधिकारी
जिला चिकि.(माकस),
रतलाम (म.प्र.)

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

एतदद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक 02.05.18...२०१८ को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरूद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

16/4

(आर.सी.सक्सेना) सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा.एवं परि./क. विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक 897/वि जां अ. /२०१८/Rcs भोपाल, दिनांक 24/4/२०१८

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रतलाम (म.प्र.) की ओर प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक 02.05.18 से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

16/4

(आर.सी.सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी

(आर. सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

02/D/18/RCS.

REGD.AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. /वि.जां.अ /२०१८/RCS. भोपाल, दिनांक २०१८

प्रति,

डा० पीयूष शर्मा, चिकि० (स) अधिकारी,
जिला चिकित्सालय
मंदसौर (म०प्र०)

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

एतदद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक 02/05/18 ....२०१८ को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरूद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(आर.सी.सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी

पृष्ठांकन क्रमांक 901/वि जां अ./२०१८/RCS. भोपाल, दिनांक 20/4 /२०१८

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मंदसौर (म०प्र०) की ओर प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(आर.सी.सक्सेना) 16/4.
विभागीय जांच अधिकारी
(आर. सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

पेशी दि० 2/05/18

01/II/18/RCS.

REGD.AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. 893 /वि.जां. अ /२०१८/RCS भोपाल, दिनांक 20/4/2018

प्रति,
डॉ. [illegible] चिकित्सा अधिकारी
[illegible]
मंदसौर (म.प्र.)

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

एतद्द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक 02/05/18 २०१८ को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए ।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरूद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।

16/4

(आर.सी.सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
(आर.सी.सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक /वि.जां.अ. /२०१८/RCS भोपाल, दिनांक /2018

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मन्दसौर की ओर प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए । आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे ।

(आर.सी.सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
(आर.सी.सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

पेशी दि० 2/5/18

प्र. क्र. 04/II/विजांअ/RCS/18

REGD.AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. 894 /वि.जां. अ /२०१८/RCS   भोपाल, दिनांक 20/4/२०१८

प्रति,
डॉ० [illegible], चिकित्सा अधिकारी
सैलाना चिकित्सालय
रतलाम (म०प्र०)

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

एतदद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक 02/05/18 २०१८ को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरूद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(आर.सी.सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक   /वि जां अ. /२०१८/RCS   भोपाल, दिनांक   /२०१८

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रतलाम की ओर प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक 02/05/18 से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(आर.सी.सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी

प्र.क्र.05/प्रा/शिकायत/RCS/18.

REGD.AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. 892 /वि.जां.अ /२०१८/RCS / भोपाल, दिनांक .20/4/.२०१८

प्रति,

डॉ. नवीन गुप्ता चिकित्सा अधिकारी,
प्रा.स्वा.केन्द्र भानपुरा
जिला मन्दसौर (म.प्र.)

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

एतदद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक .02/05/18...२०१८ को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरूद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(आर.सी.सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच/अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक /वि जां अ. /२०१८/RCS भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ..मन्दसौर...(म.प्र.) की ओर प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक .02/05/18.. से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(आर.सी.सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी

प्र.क्र. 16 /II/विजांअ/जी.केपुन/१८

REGD.AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. 890 /विजांअ/जी.के.पुन/२०१८ भोपाल, दिनांक 20/4/..२०१८

प्रति,

डॉ० उत्तम ... चिकि० अधि०
जिला चिकित्सालय देवास (म०प्र०)

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

19-4-18

नोटिस

एतदद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक 03/05/18...२०१८ को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरूद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(जी.के. नेगी)
(गिरीश कुमार नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं प.क. विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक /विजांअ/जीके.पुन/२०१८ भोपाल, दिनांक /२०१८

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ...देवास...(म.प्र.)......की ओर प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक 03/05/18... से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(जी. के. नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी

प्र.क्र. 15/II/विजांअ/जी.केपुन/१८

REGD.AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. 888 /विजांअ/जी.के.पुन/२०१८ भोपाल, दिनांक 20/4/२०१८

प्रति,
....
....

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

एतदद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक 03/05/18 २०१८ को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरूद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(जी.के. नेगी) 19/4/18
विभागीय जांच अधिकारी

पृष्ठांकन क्रमांक /विजांअ/जीके.पुन/२०१८ भोपाल, दिनांक /२०१८

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ....देवास (म०प्र०).......... की ओर प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक 03/05/18... से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(जी. के. नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी

प्र.क्र. 12 /II/विजांअ/जी.केएन/१८

REGD.AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. 886 /विजांअ/जी.के.एन/२०१८ भोपाल, दिनांक 20/4...२०१८

प्रति,

डॉ० आयुषी राठौर, चिकित्सा अधिकारी
जिला चिकित्सालय शाजापुर

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

19/04/18

नोटिस

एतद्द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरुद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक 03/05/18....२०१८ को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरुद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(जी.के. नेगी) 19/4/17
विभागीय जांच अधिकारी

(गिरीश नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक /विजांअ/जीके.एन/२०१८ भोपाल, दिनांक /२०१८

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला शाजापुर (म.प्र.) की ओर प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक 03/05/18 से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(जी. के. नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी

प्र.क्र. 13 /II/विजांअ/जी.केएन/१८

REGD.AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. 884 /विजांअ/जी.के.एन/२०१८ भोपाल, दिनांक 20/4/२०१८

प्रति,

डॉ. मनोज गुप्ता चिकि. अधि.
सिविल चिकित्सालय, देवास (म.प्र.)

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

19/04/18

नोटिस

एतदद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक 03/05/18 २०१८ को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरूद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(जी.के. नेगी)
(गिरीश कुमार नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक /विजांअ/जीके.एन/२०१८ भोपाल, दिनांक /२०१८

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला देवास (म.प्र.) की ओर प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक 03/05/18 से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(जी. के. नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी

प्र.क्र. 14 /II/विजांअ/जी.केएन/१८

REGD.AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. 882 /विजांअ/जी.के.एन/२०१८ भोपाल, दिनांक 24/4...२०१८

प्रति,

डॉ. उत्सव शर्मा चिकित्सा अधिकारी जिला चिकित्सालय, उज्जैन (म.प्र.)

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

एतदद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक 03/05/18..२०१८ को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए ।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरूद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।

(जी.के. नेगी) 19/04/18
(गिरीश कुमार नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं प.क. विभाग
भोपाल, दिनांक २०१८

पृष्ठांकन क्रमांक /विजांअ/जीके.एन/२०१८

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला उज्जैन (म.प्र.) की ओर प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक 03/05/18.. से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए । आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे ।

(जी. के. नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी

प्र.क्र. 17 /II/विजांअ/जी.केपुन/१८

REGD.AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. 878 /विजांअ/जी.के.पुन/२०१८ भोपाल, दिनांक 20.4...२०१८

प्रति,

~~डॉ. मानवेन्द्र सिंह गौर, चिकि० अधि०~~
~~जिला चिकित्सालय उज्जैन (म०प्र०)~~

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

एतदद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक 04/05/18...२०१८ को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए ।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरूद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।

(जी.के. नेगी) (गिरीश कुमार नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी जांच अधिकारी
भोपाल, दिनांक लो.स्वा. एवं /२०१८ प.क. विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक /विजांअ/जीके.पुन/२०१८

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ...उज्जैन (म०प्र०)... की ओर प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक 04/05/18... से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए । आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे ।

(जी. के. नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी

प्र.क्र. 19 /II/विजांअ/जी.केपुन/१८

REGD.AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. 876 /विजांअ/जी.के.पुन/२०१८ भोपाल, दिनांक 21.4....२०१८

प्रति,

....डॉ सन्तोष कुमार तोमर चिकि० अधि०....
....प्रा० स्वा० केन्द्र गोरइया जिला सतना (म० प्र०)

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

एतदद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक 04.05.18..२०१८ को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए ।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरूद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।

(हस्ताक्षर) 19/04/18
(जी.के. नेगी) (गिरीश कुमार नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी (विभागीय जांच अधिकारी, लो. स्वा. एवं परि. क. विभाग)

पृष्ठांकन क्रमांक /विजांअ/जीके.पुन/२०१८ भोपाल, दिनांक /२०१८

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ..सतना...(म.प्र.).....की ओर प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक 04.05.18.. से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए । आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे ।

(जी. के. नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी

जु.क्र० 11 | मि | नीमच | RCS | 18

REGD.AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. 874 /वि.जां.अ /२०१८/ RCS   भोपाल, दिनांक 20/4..२०१८

प्रति,
डॉ. एम.के. एलेन्द पाटीदार, चिकित्सा अधिकारी
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गरोठ
जिला मन्दसौर (म.प्र.)

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

एतदद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक 07/05/18....२०१८ को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरूद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(आर.सी.सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि.क. विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक /वि जां अ. /२०१८/RCS ।   भोपाल, दिनांक /२०१८

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मन्दसौर (म.प्र.) की ओर प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक 07/05/18 से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(आर.सी.सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी

प्र.क्र. 10 /II/ वि.जां.अ / RCS / 18.

REGD.AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. 372 /वि.जां. अ /२०१८/ RCS   भोपाल, दिनांक 20/4/...२०१८

प्रति,
डॉ. [illegible] (चौधरी) चिकित्सा अधिकारी,
सिविल हॉस्पिटल जावद
जिला नीमच (म.प्र.)

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

एतदद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक 07/05/18....२०१८ को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए ।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरूद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी ।

(आर.सी.सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी

पृष्ठांकन क्रमांक /वि जां अ. /२०१८/ RCS   भोपाल, दिनांक /२०१८

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला नीमच (म.प्र.)......की ओर प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक 07/05/18 से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए । आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे ।

(आर.सी.सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी

प्र.क्र. 08 /II/ विजांअ/ RCS/18

REGD.AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. 870 /वि.जां. अ /२०१८ भोपाल, दिनांक 26/4/२०१८

प्रति,

डॉ. आर. के. जैन, चिकित्सा अधिकारी,
सिविल अस्पताल, गरोठ
जिला मन्दसौर (म.प्र.)

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

पुतद्द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक 07/05/18 २०१८ को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरूद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(आर.सी.सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं प.क. विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक /वि जां अ. /२०१८ भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मन्दसौर (म.प्र.) की ओर प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक 07/05/18 से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(आर.सी.सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी

प्र.क्र. 20 /II/विजांअ/जी.केपुन/१८

REGD.AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. 868 /विजांअ/जी.के.पुन/२०१८ भोपाल, दिनांक 20/4...२०१८

प्रति,

डॉ. संतोष शुक्ला, चिकि. अधि.

जिला चिकित्सालय सीधी (म.प्र.)

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

19/4/18

नोटिस

एतद्द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक 04/05/18.....२०१८ को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरूद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

19/04/17

(जी.के. नेगी) (गिरीश कुमार नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं प.क. विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक 869 /विजांअ/जीके.पुन/२०१८ भोपाल, दिनांक 20/4/२०१८

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सीधी (म.प्र.)...की ओर प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक 04/05/18. से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(जी. के. नेगी)
विभागीय जांच अधिकारी

अ.क्र. 121/पि.जां.अ/RCS/18.

REGD.AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. 864 /वि.जां.अ /२०१८ RCS   भोपाल, दिनांक ..२०/५/.२०१८

प्रति,

डॉ. आशुतोष मिश्रा, चिकित्सा अधिकारी
[illegible]
देवास (म.प्र.)

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

एतदद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक 07/05/18....२०१८ को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरूद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(आर.सी.सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक /वि जां अ. /२०१८ RCS.   भोपाल, दिनांक /२०१८

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ....देवास....(म.प्र.)...की ओर प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक ..07/5/18.. से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(आर.सी.सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी

प्र.क्र. 07/D/विजांअ/RCS/18

REGD.AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. 862 /वि.जां. अ /२०१८/RCS. भोपाल, दिनांक ..20/4...२०१८

प्रति,
डा० सुधीर कुमार गुप्ता, चिकित्सा अधिकारी
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मनासा
जिला नीमच (म०प्र०)

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

एतदद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक 07/05/18..२०१८ को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरूद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(आर.सी.सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी

(आर.सी. सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक /वि जां अ. /२०१८/RCS भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ....नीमच.....(म०प्र०)..की ओर प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक 07/05/18 से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(आर.सी.सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी

प्र.क्र.09 / II / विजांअ / RCS / 18.

REGD.AD.

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
कार्यालय विभागीय जांच अधिकारी
आई.ई.सी ब्यूरो भवन, जे.पी. चिकित्सालय परिसर, भोपाल

क्र. 860 /वि.जां.अ /२०१८/RCS   भोपाल, दिनांक 21.4...२०१८

प्रति,

डॉ० विजयराज बाल्मिकी, चिकित्सा अधिकारी
सिविल अस्पताल गरोठ
जिला मन्दसौर (म०प्र०)

विषय : विभागीय जांच में उपस्थित होने बाबत ।

नोटिस

एतदद्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके विरूद्ध संस्थित विभागीय जांच में अपने प्रतिरक्षण/बचाव हेतु दस्तावेज / मौखिक साक्ष्य सहित कृपया नियत दिनांक 07/05/18...२०१८ को समय ११ बजे दिन मेरे समक्ष उपरोक्त पते पर उपस्थित रहना सुनिश्चित कीजिए।

स्मरण रहे कि नियत दिनांक एवं समय पर आपके अनुपस्थित रहने की दशा में आपके विरूद्ध प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(आर.सी.सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी

पृष्ठांकन क्रमांक /वि जां अ. /२०१८/RCS.   भोपाल, दिनांक २०१८

विभागीय जांच अधिकारी
लो.स्वा. एवं परि. क. विभाग

प्रतिलिपि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मन्दसौर (म०प्र०)...की ओर प्रेषित कर लेख है कि आरोपी को जारी नोटिस की तामीली आरोपी को कर्तव्य स्थल पर करवाकर एक प्रति आरोपी के हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत दिनांक 07/05/18... से पूर्व उपलब्ध कराना सुनिश्चित कीजिए। आरोपी की अनुपस्थिति की दशा में नोटिस की प्रति सम्बन्धित चिकित्सालय के सूचना पटल पर उपस्थित पंचों के समक्ष चस्पा कर तामीली प्रतिवेदन सुनवाई हेतु नियत दिनांक से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध करवाया जावे।

(आर.सी.सक्सेना)
विभागीय जांच अधिकारी